

तैयार नहीं हैं। वित्त मंत्री झट से कह देते हैं कि हमारे पास आंकड़े विश्वस्त नहीं हैं। यह कहकर रफा-दफा कर देते हैं। 1981 में इसी हाउस में बीयरर-बॉण्ड स्कीम पास की गई थी। ब्लैक मनी शायद उस समय दस हजार करोड़ रुपए थी, लेकिन 300 करोड़ रुपए बसूल करने के बाद वह स्कीम फिसफिसा गई। इस प्रकार लोगों के पास बहुत बकाए पड़े हुए हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ। इन्हीं मंत्री जी ने 24.7.84 को राज्य सभा में कहा था—

“The Finance Minister revealed that Rs. 460 crores were pending as arrears of Excise duty against big companies as on March, 31, 1984.”

1981 से 1984 तक 12,005 जगह छापे मारे गए हैं, लेकिन उसमें सम्पत्ति सिर्फ 86.61 करोड़ रुपए जब्त की गई है। यह बहुत ही कम राशि है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको छापे और ज्यादा मारने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके पास निकाला जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर बात है कि बड़े लोग और धनाढ्य होते जायेंगे। इस तरह का कानून बनाने से उनको फायदा होगा और उनके पास काला धन भी बढ़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। लोग जब जमीन बेचते हैं, तो बेचेंगे तीन लाख में और रजिस्ट्री सिर्फ एक लाख की करायेगे। इस तरह से भी काले धन में बढ़ोत्तरी होती है। इसको भी आपको सख्त कदम उठाकर रोकना चाहिए, ताकि इस प्रकार जो पैसा पचाया जा रहा है, वह न पचाया जा सके।

MR. DEPUTY SPEAKER : You have raised very valuable points. Very good. Now the hon. Minister will reply.

SHRI S.M. KRISHNA : I have noted all the points which have been raised by

Shri Ramavatar Shastri. We will conduct summary raids—as are necessary in order to unearth blackmoney.

I beg to move :

“that the Bill be passed.”

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL

13.34 hrs.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT, (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI) : I beg to move :

“That the Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894 be taken into consideration.”

It is a matter of great satisfaction to me to move the Land Acquisition (Amendment) Bill, 1984 for consideration of this august House.

As has been stated in the Statement of Objects and Reasons, with the enormous expansion of the State's role in promoting public welfare and economic development since Independence, acquisition of land for public purposes has become far more numerous than ever before. It is necessary that a proper balance is struck between the need for acquisition of land for public purposes and the rights of the individual whose land is acquired.

The present legislative framework for acquisition of Land needs to be restructured so that it serves adequately the interests of the community in harmony with the rights of the individual. This Bill seeks to achieve

this objective by recasting the present law so as to make for more expeditious acquisition of land and provide compensation to landowners and other interested persons on a more realistic and just basis.

In doing so, we have gone far beyond the recommendations of the Mulla Committee and have provided much more liberal terms of compensation for landowners than were visualised by any such body in the past.

Hon. Members will kindly recall that the Land Acquisition (Amendment) Bill, 1982, was earlier introduced on April 30, 1982. This Bill has now been withdrawn and substituted by the present Bill. After the introduction of the earlier Bill, a number of suggestions were received from several hon. Members of this House, State Governments as well as some eminent and knowledgeable persons suggesting further changes in the Land Acquisition Act. They also suggested further modifications of some of the provisions incorporated in the Bill of 1982. In deference to all of them, a fresh look was given to the Bill and the Bill introduced on August 6, 1984.

The Land Acquisition Act is being amended substantially 90 years after it came into being. The imperatives of a society in transition from the preindustrial to the industrial era being what they are, particularly in a situation in which the State has taken up the role of the prime initiator of industrialisation and modernisation, it is inevitable that land will continue to be acquired increasingly for various purposes which subserve the interest of the community. It is, therefore, necessary to ensure particularly that the interest of the weak and the poor are not overlooked in our concern for modernisation and industrialisation. Even when acquisition of their land, often the only source of their livelihood, becomes an inescapable necessity for the larger interest of the community, they ought to be provided with the necessary wherewithals of rehabilitation. In making provision in the amending Bill, we have been animated by our concern of ensuring that the person who loses his property right in land, particularly one who belongs to the weaker sections of the community, is adequately compensated for his loss.

I would now like to mention some of the important provisions of this Bill which reflect this concern. In the present Land Acquisition Act, there is no time limit prescribed for making the award by the Collector. In the Land Acquisition (Amendment) Bill, 1982, a period of two years was provided for the Collector to make his award. Provisions were, however, made that, could under certain circumstances, this period be extended by the appropriate government. However, no maximum limit for the extended period was laid down. Suggestions were subsequently received that this provision would not be an adequate safeguard against delay in the award of the Collector since the likelihood of grant of liberal extension of time by the appropriate Government could not be ruled out. So it was suggested that the very purpose for which a time limit was being prescribed would be defeated. The present Bill now seeks to make the two-year period mandatory for the Collector to adhere to, and the award cannot be delayed beyond this period. No power has been given to the appropriate Government to grant any extension of this period. Should the Collector fail to make his award within this period, the entire proceedings will lapse, thereby necessitating initiation of fresh proceedings right from the stage of the preliminary notification under section 4(1). This discipline of a time-frame is likely to ensure timely completion of most acquisition proceedings to the benefit of the landowner as well as the parties for whom land is going to be acquired.

In the exceptional circumstances in which the time limit may be exceeded, the provision for the lapse of the proceedings will ensure that the land owners are not made to part with their land for a compensation which has ceased to be realistic because of too long a time lag.

While the time frame within which the Collector has to give his award is unalterable, there is no guarantee that interested parties will not go to the Court of law seeking its intervention before the award of the Collector. This may lead to prolongation of the proceedings beyond the mandatory period about which the Collector or the implementing authority can do precious little. This additional period is not to be

counted towards the two year time limit provided for the Collector to make his award. It is hoped that considering the rational provisions made in the Bill to obviate avoidable delay and the resultant hardship to interested parties, it should be possible to avoid, in most cases, litigation in the Court of law before the award of the Collector.

Opinion has been expressed in and outside this House to the effect that determination of compensation on the basis of the market value of land, as it obtained on the date of the preliminary notification, renders compensation unrealistic. Some persons have, therefore, demanded that compensation should be determined with reference to a date later than the date of the preliminary notification. The pitfalls of this suggestion are too obvious for me to expatiate on them. While we are determined to ensure that land owners get fair compensation, no law can possibly leave room for large scale abuse of its provisions for the personal gains of a few at the cost of the community. The overall time limit of three years for the completion of acquisition proceedings, beginning with the preliminary notification and ending with the award of the Collector, is going to be a major safeguard against any runaway rise in the price of the land in the open market in this period.

Even so, note has been taken of the fact that there can be some rise in land prices within this three year period. It has, therefore, been provided that an additional amount of 10 per cent per annum will be added to the market value of the land obtaining on the date of the preliminary notification for the entire period beginning from the preliminary notification to the date of payment.

As I observed earlier, the intention of this law is to secure quick disposal of acquisition proceedings without parties having to seek the intervention of the Court in ordinary circumstances. It is our sincere hope that given understanding and goodwill, the need for the parties going to the Court of law will be obviated largely. Should any party think it necessary to go to the court before the award of the Collector and obtain stay orders or injunction from the court, it is likely to prolong the proceedings. While

nothing should be done that may be construed as penalising a party for going to the Court, the law must ensure, in the larger public interest, that going to the Court for prolongation of proceedings does not become a lucrative proposition for litigant parties.

As it is well known, a number of land acquisition proceedings have been pending for the award of the Collector for years on end. In some cases the preliminary notification under section 4 (1) was issued many years ago. Payment of compensation to the interested parties on the basis of the market value of the land prevailing on the date of the preliminary notification will be patently unfair. To remedy this unfairness, the Bill provides for payment, in every proceeding for acquisition of land where the award of the Collector had not been given on the 30th day of April, 1982, an additional payment of 10 per cent per annum from the date of the preliminary notification to the date of payment or deposit of compensation.

Under Section 18 of the principal Act, those who are aggrieved by the award of the Collector, can seek a reference to the civil court asking for an upward revision of this award.

It has been our experience that only the articulate and the affluent amongst land owners are usually able to take advantage of this provision. Poor and inarticulate land owners generally accept the award of the Collector. If the Court on a reference increases the amount of the award, the benefit of the increase is available under the present law only to the person on whose behalf the reference was made to the Court. In the present Bill, a new provision has been made for re-determination of the amount of compensation, on the basis of the award of the Court, for parties who failed to go to the Court earlier. Under this new provision, persons, who had failed to seek reference to the civil court under Section 18, can file an application to the Collector within three months of the decision of the Court and request for redetermination of compensation to be awarded to them on the basis of the award of the Court. On such an application, the Collector shall have to

make a fresh award determining afresh the compensation payable to such applicants. A further opportunity has also been given to such persons for seeking a reference to the Civil Court against this fresh award by the Collector. This important new provision will immensely help the poor and the inarticulate land owners, who generally abide by the award of the Collector and do not seek a reference to the Court and in the process suffer losses, while the comparatively rich and the articulate get higher compensation for comperable land.

It is felt that there is need for supervision by the appropriate government of the Collector's power of making award. It has, therefore, been provided that the Collector, before making an award, should obtain the previous approval of the appropriate Government or of such officer as the appropriate Government may authorise in this behalf. Further, provision has also been made that the appropriate Government may direct the Collector to make his award without such approval in such class of cases as it may specify in this behalf. This provision will enable the Government to lay down guidelines under which certain class of cases can be disposed of by the Collector at his level, while in other important cases, before the award, the previous approval of either the appropriate Government or an officer authorised by it, will be obtained. The appropriate Government, can also call for, at any time before the award is made by the Collector, any record of any proceeding for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any finding or order passed and may pass such order or issue such direction in relation thereto as it may think fit. These provisions, while giving adequate freedom to the Collector to make the award, will at the same time enable the appropriate Government to ensure that proceedings for award are properly conducted and no injustice or irregularity is committed.

There is at present no provision in the principal Act for consent award. In this Bill, a provision has been made for the Collector to make an award in terms of an agreement in case where persons interested in the land appear before him and agree in writing on the matters to be included in the award of the Collector, in the form prescribed

under rules to be made by the appropriate government. This will ensure that in cases where award by consent can be made, proceedings need not unnecessarily prolong.

I would now like to draw the attention of the Honourable Members to some other provisions of the Bill. The rate of solatium paid under Section 23 of the principal Act is proposed to be raised to 30%. Similarly, the present rate of interest payable on the amount not paid or deposited in the Court, has been increased from 6% to 9% for the first year and to 15% for all subsequent periods. The scope of the term "public purpose" has been revised so as to provide for acquisition of land for all socially important purposes, but at the same time to obviate the possibility of misuse of this provision. Another important change proposed in the Bill is that acquisition of land for companies would no longer be possible under the urgency provision for acquisition. Moreover, when land is taken under urgency provision, the Collector will pay 80 per cent of the estimated amount of compensation prior to taking the possession. All these provisions are considered to offer an adequate response to the need of land acquisition in the changed socio-economic environment.

I would take this opportunity of clarifying certain issues which have cropped up in the context of the chequered career of the Land Acquisition (Amendment) Bill. Certain members have expressed concern over the fact that much agricultural land of good quality comes to be acquired for purposes other than agriculture and that as a result this limited natural resources gets depleted. I wholeheartedly share this concern with Hon'ble Members. It should be our common endeavour to ensure that good agricultural land is not lost in the pursuit of sundry other non-agricultural purposes, when these can be served by land of inferior quality. We have impressed upon the state governments the need for ensuring this when land is acquired for various public purposes. The State Governments in their turn are also genuinely concerned about this. I would however, urge hon. Members to appreciate that it may not be realistic to lay down any legal restriction against acquisition of agricultural land for public purposes. As hon. Members know, from time to time it becomes unavoidable to acquire a specific

block of the land of a minimum size in a specified, area for some important public purpose like defence, industry, irrigation projects, which can be located only in a specific area and nowhere else and so on. If good agricultural land forms part of this block of land, it becomes unavoidable to acquire it. But given understanding and goodwill, it should be possible for us to ensure that no agricultural land is acquired avoidably, where public purpose can be served by other lands. For the same reason it may not be practicable to lay down in the law any restriction against a acquisition of land of small and marginal farmers or even if religious institutions.

Hon'ble Members have expressed great concern about the need for providing alternative land or employment to persons who have been displaced from their land which was their only means of livelihood or who have lost their employment resulting from the acquisition of land. There can be no two opinions that everything possible must be done to provide such persons either with alternative pieces of land or sources of employment and income. It, may, however, be appreciated that every public purpose for which land is acquired is not such as creates income or employment opportunities. Nor does every public purpose for which land is acquired leave opportunities, for alternative land being offered to the displaced. Therefore, while the concern of the Hon'ble Members is appreciated, it may not be practicable to make legal prescriptions for compulsorily providing alternative land to displaced persons or alternative employment opportunities to those who have lost their living. Wherever this can be done, it must be done. We have urged the state governments to ensure that in appropriate cases of land acquisition say for river valley projects, or for setting up big factories or any industrial complexes, efforts must be made to provide employment opportunities to the members of the displaced families. As a matter of fact, this is being done in many places. No pains should be spared to ensure that in appropriate cases such measures are taken in future with a much greater degree of thoroughness and purposefulness. Towards this end, we intend to issue guidelines and instructions to all concerned.

I would also submit that the generous provision for solatium and compensation on a more realistic basis itself is likely to provide much better opportunities to the displaced families in finding alternative land or sources of livelihood than ever before in the past.

Sir, I would not like to take more time of this House by analysing the other provisions of the Bill or suggestions made by various speakers. I do not believe that the amendment proposed in this Bill will go a long way towards providing a better legislative and administrative framework for acquisition of land for socially necessary purposes within a reasonable time frame and in a manner that harmonises the interests of the community with the rights of the individual. I commend this Bill to this august House for this unanimous acceptance.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

That the Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894 taken into Consideration."

Shri Nirmal Sinha

*SHRI NIRMAL SINHA (Mathurapur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am grateful to you for allowing me to speak on this important Bill. This Bill that has come before us for discussion seeks to amend the Land Acquisition Act of 1894. The original act was passed 90 years ago by the Imperialist British Government. Naturally therefore no one will expect any progressive outlook or progressive thinking in the law made by them. Nor will any one expect that the interests of small and marginal farmers, that of the sharecroppers or the weaker sections living below the poverty line etc. will be taken care of and protected therein. The Act has been later amended six times in all including the present amendment. It was amended in 1921, 1923 and 1933 during the British rule. Later on the same was

*The original speech was delivered in Bengali.

amended three times more in the post-independence period by the Indian Government in 1962, 1967 and now in 1984. But Sir, in the amendments carried out by our Government also in 1962 and 1967 we do not find any reflection of a progressive outlook. The basic structure of the legislation remains more or less the same. No provisions have been made in them to specially protect the interests of the poorer sections, the sharecroppers, small and marginal farmers, the blind and other handicapped poor people etc. who are the worst sufferers when their land is acquired and taken away from them. This Bill gives no guarantee of protecting the interests of the weakest sections who live below the poverty line.

Sir, science and technology is marching forward. Along with that the needs and wants of man are also increasing. There is therefore the need for setting up new industries and factories etc. The industrial age is on its victory march. But surely it is not desirable that under the wheels of its chariot, all these poor people, the sharecroppers, the marginal farmers, the small farmers, the handicapped etc. will get crushed. We have seen before that those poor people whose land has been acquired, are forced to go out of their area being totally uprooted and in miserable condition. They roam about here and there and live in sub-human conditions like starving animals. This Bill has failed to provide them any protection. We have seen that after independence thousands of people have become refugees once more due to the acquisition of their land and are living a miserable life.

Sir, here I will like to give one example. In Maharashtra in 1970 the Nhara Sheva Project was taken up. At the time of acquisition of 1,147 hectares of land for this project, the Maharashtra Government carried out such inhuman and barbarous atrocities on the poor farmers that it is difficult to find a parallel in history.

In 1970 the Maharashtra Government issued notification for the acquisition of 20,000 hectares of land spread over 93 villages for the said Nhara Seva project costing 500 crores of rupees. The amount of compensation for the acquisition of land was fixed by the Government at the rate of

Rs. 27,000 per acre. On 8th January about 20,000 farmers assembled at Jasai and formed the 'Save Land Committee.' The Committee demanded that the price of land should be raised to Rs. 40,000 per acre instead of Rs. 27,000 per acre declared by Government. But the Government did not concede their demand. Instead, it was decided to acquire their land forcibly. The State Reserve Police arrested a large number of farmers. The farmers protested strongly. On the 13th January thirty persons and on the 14th January 47 persons including 3 women were badly beatend up by 14th and carried away in police vans. On the 15th January another 300 able bodied people of Jasai were taken away by the police. Near Jasai the SRP fired over 60 rounds on a assembly of 10,000 farmers who had gone on a deputation to the land acquisition authorities. Two farmers were killed on the spot and a large number were injured. The next day again near Dastan Phatak nearby, another 3 persons were killed in police firing and a large number injured. After that a reign of terror was unleashed by the police in 93 villages. The villagers fled in panic. The women lived in terror not knowing where their menfolk are, since the arrested persons were scattered in prisons all over the State. The markets, schools, hospitals, dispensaries were all closed. In this atmosphere the work of forcible acquisition went on briskly. This is the attitude of our own Government towards the poor farmers of the country.

14.00 hrs.

Sir, as we all know the original land acquisition Act was passed in 1894. It was a totally different world then. Since then much water has flown under the bridge. The world has undergone a total change in outlook and thinking. Particularly after the great Russian revolution of 1917 there has been wholesale change in the economic, social, cultural and educational fields in many countries of the world. The philosophy of Governments have changed on a global basis. In India also the freedom movement has taken place against the British Imperialist rule. Power has been transferred from the imperialists to the Indians. But apart from that we do not see any significant change in the attitude and thinking of the

ruling party. This present Bill is a proof of that.

We know that this Act was amended previously by this august House in 1962 and 1967. From the proceedings of 1962 it will be seen that hon. Members of this House belonging both to the ruling party as well as the opposition had at that time cited many cases of those unfortunate people who were crushed under the grinding stone of this enactment. They had also criticised this type of amendments. They had appealed for protecting the poor people from its inhuman onslaughts. The same story was repeated during the amendment of 1967. The hon. Minister also admitted cases of inhuman eviction of farmers and their harassment in the hands of bureaucrats in getting compensation for the acquired land. Today also the hon. members will say the same things as I have said earlier while participating in the discussion on this Bill. The hon. Minister will also reply on the same lines as was done in 1967 and this Bill will be got passed by the ruling party due to their massive majority. But the basic problems will remain unsolved. There will be no solution of the tears, sighs and anguish of the weakest sections of free India viz., the small and marginal farmers, the sharecroppers, the handicapped and disabled citizens whose last resorts of sustenance are going to be snatched away through the unkind and merciless powers of this legislation.

Therefore before I conclude, I will request the hon. Minister to withdraw this Bill and to bring forth another revised amendment Bill which should contain the following provisions for protecting and safeguarding the interests of the weakest sections of our society :—

1. At the time of acquisition of land, the cases of marginal farmers, small farmers, those who live below the poverty line, those who are handicapped or disabled etc. should be avoided.
2. It is becomes unavoidable, then the above category of persons should be given alternative pieces of land of equal area and equal productivity in the same village.

3. The blind or handicapped and disabled persons whose land is acquired, should have assured provision of suitable employment.
4. All the recorded or unrecorded *Bargadar*s should have an assured provision of employment for their rehabilitation.
5. All small and marginal farmers whom it will not be possible to rehabilitate through alternative land of equal area and equal productivity, should have assured provision of employment.
6. The land owners should be properly rehabilitated before actual acquisition or taking possession of their land.
7. Compensation should be paid to the land owners according to the State rule. The smaller the piece of land of the owner, the proportionately higher should be the rate of compensation paid to him.
8. A high powered advisory or supervisory committee should be formed in this connection which must have at least one representative from peasant organisations to look after the interests of the farmers. I hope the hon. Minister will give due consideration to the above suggestions.

14.06 hrs.

[SHRI N.K. SHEJWALKAR *in the Chair*]

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में सोचने और समझने का हमें काफी मौका मिला है। माननीय मंत्री जी ने विस्तारपूर्वक जो इसके बारे में अभी बताया है, इससे मुझे यह कहने में थोड़ी भी झिझक नहीं रही है कि हम सब मिलकर एक साथ इसका समर्थन करेंगे। ठीक है, किसानों के हित को देखते हुए थोड़ी बहुत कमी इसमें रह जाती है परन्तु बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो किसानों के हित को देखते हुए पीछे

रह गये थे, वह अब इसमें पूरे किये गये हैं। अब यह बिल काफी चिन्तन और सोच-विचार के बाद आया है। जिस आधार पर हम यहां पीढ़ित हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि किसानों के हित में अब ऐसा कानून बना है जिससे उनका संरक्षण हो सकेगा।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जैसे कि औद्योगीकरण का विकास हो रहा है। भारत के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है, मगर किसान की कीमत पर नहीं। किसान के हित को साधते हुए औद्योगीकरण हो तभी वह भारत के लिए हितकारी होगा। अगर यह किसान के हित के विपरीत होगा तो एक समय ऐसा आयेगा कि यहां भी वही हाल होगा जैसा कि आज औद्योगिक देशों का हो रहा है। वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। नामके लिये औद्योगीकरण किया गया है। समानान्तर कृषि को विकसित करने की आवश्यकता है। छोटे-छोटे किसान जो सारे देश में फैले हुए हैं, उनके हित का ध्यान नहीं किया गया तो आप साम्राज्यवादी रूप में उसकी परिणति कर रहे हैं। दुनिया में विनाशकारी रूप बढ़ रहा है उससे यह देश अपने आप में क्षीण और कमजोर हो जायेगा। ऐसी स्थिति में दोनों का संतुलित होना जरूरी है। इस आधार पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए।

हमें ऐसा अनुभव होता रहा है कि औद्योगिकीकरण के विकास के सम्बन्ध में हम कहीं कहीं अन्धे औद्योगीकरण की तरफ तो नहीं बढ़ गये हैं। जिस फैक्टरी को स्थापित करना होता है, उसके लिये जमीन की जरूरत होती है। ताकि खनिज की दृष्टि से भी जमीन मिलती है तो किसान की जमीन ले लेते हैं। यह नहीं देखते कि किसान की उपजाऊ जमीन उसमें जा रही है या नहीं। ऐसी स्थिति में जितना उससे लाभ होना चाहिये, उससे अधिक नुकसान हो जाता है।

अपने क्षेत्र की बात बताता हूं। वहां खान और भद्रपाली नाम के बगौदा बाजार तहसील, रायपुर जिले में स्थान हैं। वहां सीमेंट का कारखाना खुला। यह मोदी जी का सीमेंट का कारखाना है। एक तरफ सीमेंट का कारखाना देश के लिए आवश्यक है, हमने उसका स्वागत भी किया कि हमारे क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना खुलना चाहिये, वहां इनकी काफी गुंजाइश है और वहां दो ही नहीं 4 बढ़ने चाहियें। वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। उस क्षेत्र में भुखमरी का इलाका बहुत ज्यादा है। सिंचाई भी बहुत कम है। वहां से लोग रोजगार के लिए सारे देश में जाते हैं। इस स्थिति से खेत मजदूर और छोटे-छोटे किसान ज्यादा प्रभावित होते हैं। सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां औद्योगीकरण का विकास होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने वहां पर सीमेंट के कारखाने की स्थापना का स्वागत किया।

लेकिन हमने जा कर देखा कि वहां पर सबसे ज्यादा धान की पैदावार का इलाका है, जो सिंचित जमीन है, उस पर वह फैक्टरी कायम की जा रही है। अब तो कारखाने का काम प्रारंभ हो गया है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। मगर उस इलाके की सबसे ज्यादा सिंचाई वाली और सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली सात आठ सौ एकड़ जमीन एकवायर कर ली गई है। जिन किसानों की जमीन ले ली गई है, वे आज भी रो रहे हैं। उनकी जमीन के बदले उनको कोई और जमीन मिलने वाली नहीं है—उस किस्म की जमीन तो हरगिज मिलने वाली नहीं है। वे लोग देश के विकास के लिए अपनी जमीन छोड़ रहे हैं, इसलिए हमको उन्हें भरपूर मुआवजा देना चाहिए, ताकि वे भूखों न मर सकें।

अगर वे लोग वैसी ही जमीन ढूंढना चाहें, तो 15,000 रुपए प्रति-एकड़ वाली जमीन

वहां से दस पंद्रह किलोमीटर दूर मिलेगी। लेकिन उनको मुआवजा क्या दिया गया है? 4,000 रुपए या 5,000 रुपए प्रति-एकड़। आज जमीन की जो कीमत है, उससे एक-तिहाई कम्पेन्सेशन उनको दिया जा रहा है। इस अवस्था में उनके पास आंसू बहाने के अलावा और क्या रहता है? हम सब प्रफुल्लित हैं कि हमारे यहां कारखाना बन रहा है और बेरोजगारी दूर हो रही है। अगर आज का कानून लागू होता और हमारा ध्यान उस ओर गया होता, तो सात आठ सौ एकड़ खेती की उपजाऊ जमीन बच गई होती।

उसके पास ही कुछ पथरीली जमीन है, जहां पर यह कारखाना स्थापित किया जा सकता था। उस परती जमीन का मुआवजा भी चार पांच हजार रुपए एकड़ दिया गया है। पंद्रह बीस हजार रुपए एकड़ वाली ऊपजाऊ जमीन का मुआवजा भी चार पांच हजार रुपए एकड़ और परती पथरीली जमीन का मुआवजा भी चार पांच हजार रुपए। अच्छी उपजाऊ जमीन और परती जमीन दोनों को एक ही स्तर पर रख दिया गया है। यह तो अन्धे के हाथ बटेर वाली बात है।

उन लोगों की जमीन तो सरकार ने एक्वायर कर ली, मगर उनके मकान और घर का क्या होगा? सीमेंट फ़ैक्टरी के मालिक कहते हैं कि हम उसका कम्पेन्सेशन नहीं देंगे, क्योंकि वह हमारे एरिया में नहीं है। उन लोगों को मकान और घर का भी कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए, लेकिन वह नहीं मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान कानून के अन्तर्गत किसानों को कभी भी सही कम्पेन्सेशन नहीं मिल सकता है। मुआवजा देते हुए जमीन की आज की कीमत नहीं देखी जाती है, बल्कि पिछले तीन सालों की कीमत को दृष्टि में रख कर मुआवजा निश्चित किया जाता है। आज जिस जमीन की कीमत दस पंद्रह हजार रुपए

प्रति-एकड़ है, उसका मुआवजा चार हजार रुपए प्रति-एकड़ मिलता है।

पुराने कानून के अनुसार कलेक्टर और अधिकारी जमीन का कम्पेन्सेशन तय करते हैं। वे किस तरीके से मुआवजा तय करते हैं, यह कहने की मुझे हिम्मत नहीं होती है। इसमें किसानों का हित नहीं देखा जाता, बल्कि कारखानेदार के हित के आधार पर ही कम्पेन्सेशन निश्चित किया जाता है। गणित कुछ भी लगाया जाए, मगर अब सरकार को यह व्यवस्था करनी होगी कि जमीन के बाजार-भाव से इयोढ़ा मूल्य मुआवजे के रूप में दिया जाए। जिस जमीन पर कारखाना बनता है, वह जमीन चार हजार रुपए प्रति-एकड़ के हिसाब से ली जाती है। वैसी जमीन किसान को पंद्रह हजार रुपए प्रति-एकड़ में भी नहीं मिलती है।

प्रायः देखा गया है कि जो जमीन एक्वायर कर ली जाती है, उसके आस-पास की जमीन की कीमत बढ़ जाती है। वहां पर बाजार, दुकानें और होटल आदि बन जाते हैं। कारखाना बनने से सब लाभान्वित होते हैं—सिवाए किसान के, जिसकी जमीन ले ली गई है। वैसी ही स्थिति हर क्षेत्र में देखेंगे। अगर बांध बन जाय तो उसकी जमीन की कीमत उसी आधार पर आंकी जाती है जो निर्णय होने के 3 साल पहले की कीमत होती है। बांध निर्माण होने के बाद जिस जमीन में पानी का डूबा हुआ, जिस किसान ने अपनी जमीन देकर राष्ट्र के लिए त्याग किया उसकी कीमत उसको कम मिलेगी और जो उस बांध से लाभान्वित हो रहा है उसकी जमीन की कीमत 25 गुना बढ़ जाती है। 10 एकड़ जमीन जाने के बाद 1 एकड़ बराबर की जमीन उस गरीब किसान को नहीं मिलती है। इसलिए आपको उस किसान की जमीन की उचित कीमत देनी होगी। उसके त्याग को देखकर जमीन की

कीमत तय करनी चाहिए तब जाकर उसको लाभ होता है। होता बिल्कुल उल्टा है। किसान हमारे लिए कुर्बान होता है इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसको नुकसान न होने दें।

आज वर्षा होती है पहाड़ी क्षेत्र में, नदियां भी वहीं से निकलती हैं, बांध की डूब में भी पहाड़ी क्षेत्र ही आता है और वहां हरिजन और आदिवासी लोग ही रहते हैं, वही बेचारे बर्बाद होते हैं। तो उन्हें पहले से बसाने की व्यवस्था होनी चाहिये और जिनको लाभ होने वाला है उनके समकक्ष उन गरीब किसानों को लाना होगा। सारे देश में उजड़ने के बाद जितने कारखाने, सड़कें, बांध बनेंगे, सब गरीब किसान की जमीन पर ही बनेंगे, सारे देश का विकास किसान की जमीन पर निर्भर है। यह भी सही है कि जो पिछड़े क्षेत्र थे प्रकृति ने हमें अगले कदम में उठाया। भिलाई, बस्तर, वैलाडीला में प्रकृति ने अगर लोहा न दिया होता तो हम उस क्षेत्र को भूल गए होते। वहां पर जो खनिज पदार्थ निकल रहा है उसको निकालने के काम में भी उन लोगों की नौकरी नहीं मिलती है। जिसकी जमीन जा रही है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। खनिज पदार्थ निकालने के लिये भी बाहर के लोग आते हैं। यहां तक कि मिट्टी खोदने वाले, पत्थर और लोहा निकालने वाले भी वहां के आदिवासी लोग नहीं हैं। क्योंकि देश के अन्दर बेरोजगारी है इसलिए बाहर से लोग आकर वहां काम करते हैं और हरिजन बेचारे वहां सफर करते हैं। मेरी मांग है कि वहां के लोगों की भर्ती करनी चाहिए और अगर आदिवासी लोग ट्रेन्ड नहीं हैं तो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। विकसित लोगों को तो अवसर मिलता है और हरिजन, आदिवासी जो सदियों से पिछड़े हुए हैं क्या वह आज भी पिछड़े रहें? क्या उनकी संस्कृति को हम समाप्त होने देंगे

जिसके आधार पर हम खड़े हैं? सत्य, प्रेम और करुणा अगर किसी में प्लावित हो रही है तो हरिजन और आदिवासी हैं और हम उसके आगे नत-मस्तक हैं। विशेष अवसर केवल रिजर्वेशन से नहीं होगा, मुझे तो स्वामी विवेकानन्द की वाणी याद आती है जिसको मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पिछड़े हुए को ऊपर उठाना है तो जो आगे बढ़े हुए हैं उनको रोकने के लिये अगर 100 साल की भी आवश्यकता होती है तो उसको रोकना चाहिये। 90 प्रतिशत जनता आज गिरी हुई और दबी हुई है उसको उठाने में अगर 100 साल भी लगते हैं तो बढ़े हुए लोगों को हमें रोके रखना है। इसके बावजूद उस अवसर को ढूँढ़कर निकालना होगा। आपने रिजर्वेशन दे दिया है, प्राथमिकता दे दी है, भिलाई के स्थानीय लोगों को अधिकार दिया, बस्तर के आदिवासियों के लिए प्राथमिकता होगी लेकिन क्या केवल मिट्टी खोदने के लिए ही? वहां पर फिटर चाहिए, वहां पर टर्नर चाहिए। टेक्निकल लोग वहां पर हैं क्या? इस लिए मेरा निवेदन है कि पिछड़े क्षेत्र में जहां भी आप कारखाना खोलें, वहां पर आप जमीन देते हैं उसका स्वागत है, मुआवजा देते हैं उसका भी स्वागत है, कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो उसका स्वागत न करे लेकिन इसके साथ-साथ कारखाना बनाने के पहले वहां आप स्कूल का निर्माण करें जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा सके। भले ही यह काम आपके विभाग के अन्तर्गत न आता हो लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि जहां भी पिछड़े क्षेत्र में कारखाना आप लगाएं वहां पर स्कूल पहले बनायें।

अन्त में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप कानून बनाने जा रहे हैं जिससे किसान लाभान्वित हो सकेंगे। लेकिन चाहे रेवान फैक्टरी हो या मोदी सीमेंट फैक्टरी हो वहां पर जित्त किसानों की जमीनें गई हैं उन्होंने मजबूर होकर दस्तखत किए। हालांकि

भूखों मरेंगे और मुआविजा भी बहुत कम है लेकिन फिर भी मजबूर होकर दस्तखत किए। मेरा आपसे निवेदन है कि पांच साल तक पीछे जिनकी जमीनें ली गई हैं उनका फिर से मूल्यांकन किया जाए, बाजार भाव पर मूल्यांकन किया जाए।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल को लाने के लिए मन्त्री जी को तो बधायी दूंगा ही लेकिन सबसे ज्यादा बधायी मैं लोक सभा के अध्यक्ष, डा० बलराम झाखड़ को दूंगा। यदि उन्होंने प्रयत्न न किया होता तो मैं समझता हूं यह बिल आज हमारे सामने नहीं आता। जब मन्त्री महोदय ने यह बिल 6 अगस्त को पेश किया था तब अध्यक्ष महोदय ने भावुक होकर जो बात कही थी वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

“दिगम्बर सिंह जी की बात मैंने सुनी। उन्होंने जो अपील की है वह भी सुनी है। आपको चिन्ता करने की क्या जरूरत है, अभी क्षमता है बिल पास कराने की और कोई सेक्रेटरी बीच में नहीं आ सकता है।

अखबारों की भी आप क्यों चिन्ता करते हैं, वह तो पैसे वालों के होते हैं और जिस दिन किसानों के पास भी पैसा हो जायेगा, उनकी बात भी छपी जाने लगेगी। इसलिए चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है...।”

फिर उन्होंने मन्त्री महोदय को संबोधित करते हुए कहा :

“This question refers to the whole peasantry and once the land goes out of his hands, nothing remains with him. This is his life-long companion and he lives with this land. This is much more than anything else in his life. You must provide something as alternative and also compensation

and see if there is any amendment necessary for this purpose, bring it forward and there will be no dissenting voice. The whole House would agree to that. I think Rao Sahib will take care of it along with you, Sharimati Kidwai. I think the Prime Minister has also spoken of this.”

अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके लिए कहा है। फिर आगे अध्यक्ष महोदय ने मन्त्री जी से कहा कि : “आप इसे ध्यान से सोचिए, बार-बार नहीं बनता है। तीन बार पहले भी किया है। I have been involved in this as I myself am a farmer.”

जो कोई आपके डिपार्टमेंट में बैठते हैं, उनको अगर आप किसान के पास जेठ के महीने में भेज दें तो फिर उनको अकल आ जायेगी और हिमाव्र लगा लेंगे। आप इसको अगर थोड़ा सोचकर अगर जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से करें। मुझे उम्मीद है आप इसको देखेंगी। सभापति जी, जो मैंने कहा था, उसकी भी दो लाइनें मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं भावुकता में कहना चाहता हूं कि अगर मेरे इस्तीफा देने से यह बिल अमेंड होकर पास हो सकता है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उस अमेंडमेंट को आप ले आयें। अगर आप चाहें कि तुम को शहीद होना पड़ेगा, भूख हड़ताल कर दो, तुम्हें फांसी पर चढ़ना होगा तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आप उस अमेंडमेंट को ले आयें। अगर आप मुझ से यह कहें कि किसान के हित के लिए तुम यह वादा कर लो कि तुम कभी राजनीति में भाग नहीं लोगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आप इस अमेंडमेंट को कर दीजिए कि किसान से जमीन जब ली जाती है, जब उस पर कब्जा किया जाता है, तो तब के बाजार भाव का मुआवजा उसको मिलना चाहिए। उस वक्त मैंने यह कहा था।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : दिगम्बर जी, आपने कहा था कि मैं भी इस्तीफा देता हूँ और आप भी इस्तीफा दें।

श्री दिगम्बर सिंह : हाँ यह मैंने इसलिए कहा था कि अध्यक्ष महोदय ने एक कृषक समाज की कांग्रेस की थी। उसमें प्रस्ताव किया था कि जब जमीन ली जाती है उस वक्त के बाजार भाव देने चाहिए। उसकी असफलता में मैं भी इस्तीफा देता हूँ और आप भी इस्तीफा दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

सभापति जी मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कुछ हो या न हो, लेकिन सन् 1952 से यह पहला मौका है कि जब विरोधी पार्टी के एक आदमी ने कोई बात हाउस के सामने रखी हो और वह बिल के रूप में सदन में पारित होने के लिए आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या-क्या किया है। 15 जुलाई, 1980 को सबसे पहले मैंने ही इस मामले को सदन में उठाया था कि इसमें संशोधन होना चाहिए। समय कम होने की वजह से मैं उस भाषण को नहीं पढ़ूँगा। इसका जवाब राव बीरेन्द्र सिंह जी ने दिया था कि हम इस काम को करा रहे हैं। लेकिन सभापति जी मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यहां किसानों की रैली होने वाली थी और उस रैली में काफी आदमी इकट्ठे हुए। मेरा प्रधान मंत्री जी से सन् 1952 में मिलना जुलना रहा है। मैंने उनको एक पत्र लिखा और निवेदन किया कि यदि आप मेरी इन तीन बातों को अपने भाषण में शामिल कर लें तो बड़ी कृपा होगी। एक—किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इसमें कोई विरोध नहीं है, दो - किसानों की जमीन का मुआवजा उचित मिले, इसमें भी किसी को विरोध नहीं है और तीन—दिल्ली में आप किसान निवास बना दें, ताकि किसान आ कर ठहर सकें। मैंने भी एक किसान निवास बनवाया है, जहां किसान आकर ठहरते हैं।

हमारी प्रधान मंत्री जी ने 16 फरवरी 1981 को रैली में स्टेटमेंट दिया, जिसको मैं एकदफा पढ़ चुका हूँ, फिर भी मैं एक लाइन आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री जी ने कहा मुआवजे के भुगतान के दिन जमीन का मूल्य होगा और वही स्पीकर साहब ने कहा था। मेरे पास सारी अखबारों की कटिंग हैं। समय कम होने की वजह से मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ही प्राइवेट मੈम्बर बिल के रूप में एक बिल 1981 में इसमें संशोधन के लिए पेश किया था, इस प्रयत्न में चार बरस और चालीस दिन हो गए हैं, आज चालीसवां दिन है। रूरल डेवलपमेंट व एग्री-कल्चर की कोई कन्सल्टेटिव कमेटी नहीं हुई, जिसमें मैंने यह सुझाव न रखा हो। उसमें एक भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं था, जिसने मेरा समर्थन न किया हो। उस समय कांग्रेस सदस्यों ने भी कहा था कि तुम ठीक कह रहे हो।

मैं आपको बतलाना चाहता हूँ—सब संसद सदस्यों को तीन पत्र मैंने ही भेजे, जिन में यह कहा कि आप कृपा कर किसानों के हित के लिये यह कीजिए। इतना ही नहीं चौधरी चरण सिंह जी ने भी जो पत्र श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को लिखा था, आम तौर पर वह किसी को नहीं लिखते हैं, लेकिन किसानों के हित के लिए उन्होंने लिखा, उसकी कापी भी मैंने सब संसद सदस्यों को भेजी। इसके बाद संसद सदस्यों के हस्ताक्षर करा कर, जिनमें कांग्रेसी संसद सदस्य भी थे, वे मांगें प्रधान मंत्री जी को दीं। उनमें भी यही बात थी कि किसानों को भूमि का मुआवजा उस दर पर दिया जाना चाहिए जिस समय उस जमीन पर कब्जा किया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी के पत्र में भी यही बात थी।

सभापति जी, आप को याद होगा, भारतीय जनता पार्टी और लोक दल की जो

एन०डी०ए० की मीटिंग हुई थी, उसने भी एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने एक मैमोरेण्डम तैयार किया था उसमें भी इन्हीं बातों की मांग थी। इस विषय पर मैं तीन बार लोक सभा में बोला हूँ। जो विषय मैंने नियम 377 के तहत उठाये उन में भी ज्यादातर इसी प्रश्न को उठाया है और यही मांग की है।

सभापति जी, मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ—जब हमारी प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य हो गया तो मैंने उसकी कटिंग लेकर उनको एक चिट्ठी लिखी कि आपके वक्तव्य के बाद जब किसान यहाँ से गये तो बड़ी खुशी मनाते हुए गये कि अब उनके साथ भूमि अर्जन में लूट नहीं होगी क्योंकि अब प्रधान मंत्री जी ने घोषणा कर दी है। इसलिए अब इस बारे में शीघ्र से शीघ्र बिल आना चाहिये। प्रधान मंत्री ने राव साहब से कहा। राव साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि दिगम्बर सिंह, तुम्हारे क्या सुझाव हैं, तुम इस के बारे में अधिकारियों से बात कर लो। मैंने कहा—राव साहब, जो प्लॉट खरीदने वाले हैं, उनसे मेरी कैसे पट्टेगी? उसके बाद फिर राव साहब ने मुझे बुला कर बात की और उसके बाद 1980 में एक बिल आया। लेकिन अफसोस यह था कि उस बिल में भी यह बात नहीं थी कि कम्पेन्सेशन भूमि के कब्जे के समय का मिलना चाहिये। मैंने फिर राव साहब से कहा। उन्होंने कहा—मैं क्या करूँ? मैंने फिर प्रधान मंत्री जी को लिखा कि इस बिल में वह बात नहीं है जिसके लिये हम ने उन से कहा था। उन्होंने फिर राव साहब से कहा...

प्रो० मन्नु दंडवते : राव साहब से आपका मतलब हमारे मिनिस्टर साहब से है ?

श्री दिगम्बर सिंह : हाँ राव बीरेन्द्र सिंह उस वक्त इस डिपार्टमेंट के भी इन्चार्ज थे। उसके बाद यह मामला चलता रहा। 1982

के शरतकालीन अधिवेशन में उस बिल को पास करने के लिए दिन तय हो गया। मैंने फिर राव साहब से कहा लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। उसके बाद मैं स्पीकर साहब से मिला और उनसे कहा यदि आप इसको बिजनेस में से निकाल दें तो मैं फिर प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा, मुझे विश्वास है कि वह मेरी बात मान जायेंगी और यही हुआ। उन्होंने बिजनेस से उस विषय को निकाल दिया। उसके बाद मैंने फिर प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना की और उन्होंने राव साहब से कह कर उस बिल को वापस कराया। लेकिन किसानों का यह दुर्भाग्य था कि उस विभाग में एक ऐसे मंत्री आये जिन का नाम था—श्री हरिनाथ मिश्र। वह सिर्फ एक ही बात जानते थे कि जो उनके सैक्रेटरी और अधिकारी लिखकर देते थे, वे उनकी हाँ में हाँ मिला देते थे। उसी आधार पर फिर बिल तैयार हुआ। मेरा दुर्भाग्य था—उस वक्त यदि हमारी किदवई जी आ गई होती तो शायद हम उनको राजी कर लेते, लेकिन अब इलेक्शन-आवर पर क्या करें।

एक माननीय सदस्य : अब भी करा लो।

श्री दिगम्बर सिंह : अगर आप भी हिम्मत करें तो हो सकता है।

सभापति महोदय : ये राजी हो जायें तो अभी भी हो सकता है।

श्री दिगम्बर सिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो बिल है इसमें वही कमी रह गई है जो उस में पहले थी। यह ठीक है कि कुछ बातों को इस में जरूर किया गया है, जिनके बारे में मंत्री महोदया ने बतलाया है। मंत्री महोदया ने तो पढ़ कर सुनाया है, लेकिन मैं उन सबको जुबानी बतला सकता हूँ। अगर संसद सदस्य मुझे क्षमा कर दें, तो मैं यह कहूँगा कि एक भी संसद सदस्य ऐसा नहीं है

जिस ने इसका उतना अध्ययन किया होगा, जितना मैंने किया है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) आपकी उम्र हमारी कैसे हो सकती है ?

श्री दिगम्बर सिंह : यह तो आपकी कृपा है - आपकी उम्र मेरी जितनी नहीं है, लेकिन मेरी उम्र कभी आपको जरूर मिलेगी।

प्रधान मंत्री को मैंने पत्र लिखा कि इस बिल में यह बात नहीं है। फिर यह हुआ कि स्पीकर साहब से बात हुई। स्पीकर साहब ने प्रधान मंत्री से बात करने के उपरान्त, मेरे भावुकता के भाषण के उपरान्त, एक मीटिंग बुलाई और उस में ला मिनिस्टर थे, माननीय मंत्री जी थीं, और मैं भी था। चारों के सामने यह तय हुआ, अगर मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर लें, तो दो बातें हमें स्वीकार हैं। एक बात तो यह थी कि दस प्रतिशत का जो ब्याज है, वह देंगे लेकिन ब्याज को चोपट यह कह कर, कर दिया कि यदि कोई केस स्टेट का होगा, तो उस टाइम को नहीं लेंगे। अब आप देखिए कि कोर्ट में सब जाते हैं। प्रतिबन्ध हटा देंगे इन्होंने इस बात को मान लिया और ला मिनिस्टर ने कहा कि प्रधान मंत्री जी से पूछेंगे वैसे हमें यह स्वीकार है और हम इस को मान लेंगे और दूसरा यह कर दिया कि जो नोटीफिकेशन सैक्शन 4 का होता है, उसकी जगह सैक्शन 6 के समय का बाजार भाव मान लेंगे तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात आप ने स्वीकार नहीं कि थी अध्यक्ष महोदय के सामने और क्या इस बिल में वे कोई ऐसा एमेंडमेंट ला रही हैं। मुझे पता है कि वह नहीं आ रहा है।

मैं आप से कहना चाहता हूँ कि मैं कोई वकील नहीं हूँ, लाइयर नहीं हूँ लेकिन मेरे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों के ये सजेशन्स आए हैं और उन्होंने लिखा है कि

दिगम्बर सिंह जी हमें पता है कि आप इसमें कुछ कर रहे हो और हमारे जो सजेशन्स हैं, वे आप इस में रखिये। उन्होंने यह भी बताया कि इस बिल में जो पहले का बिल था, उससे भी ज्यादा कुछ खराब बातें हैं, उससे भी ज्यादा इसको खराब कर दिया है। क्या कर दिया है आपने इसमें यह किया है कि जो केस कोर्ट में चल रहे हैं, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस संबंध में एक एमेंडमेंट रखा है, उनमें यह कर दिया है कि सैक्शन 11 का जो एवार्ड तय होगा उस एवार्ड में केवल दो वर्ष लगेंगे लेकिन पुराने जो केसेज हैं, उन में आज से आगे दो वर्ष लगेंगे और उनमें पुराना समय शामिल नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट के वकील यह बता रहे हैं कि यह इसलिए किया है कि पैन्डिंग में जो बहुत से केसेज पड़े हुए हैं, ऐसा कानून अगर पास न करते, तो वे सब खारिज हो जाएंगे और उन्हें बचाने के लिए यह एमेंडमेंट लाया गया है जो कि पहले राव साहब वाले बिल में नहीं था और यह जो बिल है, इस में है। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आप सुधार की बात कहते हैं लेकिन यह सुधार की बात कहां हुई, यह तो बिगाड़ की बात है।

यहीं नहीं कि मैंने इस बारे में पत्र लिखे हैं। मेरे पास इतने ज्यादा पत्र आए हैं कि अगर मैं उनको सिर पर उठा कर लाना चाहता, तो ला नहीं पाता लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरे पत्रों के उत्तर में 10 पत्र प्रधान मंत्री जी ने लिखे हैं और 41 पत्र मंत्रियों ने लिखे हैं, जो कि कैबिनेट में बैठते हैं तब भी मैं समझता हूँ कि समस्या हल नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ला मिनिस्टर साहब ने एक बात कही थी कि दिगम्बर सिंह जी, अब हम नोटीफिकेशन से 10 वर्ष का इन्ट्रैस्ट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ने यह कर दिया है कि मान लो, 10 वर्ष पहले का नोटीफिकेशन है, तो 10 वर्ष का ब्याज देंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले

तो कोर्ट जाने की वजह से ब्याज मिलेगा ही नहीं और अगर मान भी लिया जाए कि ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपये के 200 रुपया 10 वर्ष में मिल जाएंगे क्योंकि 10 प्रतिशत ब्याज से इतना ही रुपया बैठता है।

एक बात और कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारे यहां सरकार एक काम करती है कि हर जमीन की मार्केट वेल्यू तय कर देती है ताकि सेल डीड करने में स्टैम्प ड्यूटी कम न लगे। पता नहीं, मैं अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूँ या नहीं, मैं यह बताना चाहता हूँ कि कोई भी जमीन ऐसी नहीं है जिसकी मार्केट वेल्यू सरकार ने तय न की हो। मार्केट वेल्यू की मेरे पास नकलें मौजूद हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस जमीन का 40 रुपये का भाव 1977 में था 22-1-77 को जिस जमीन का भाव 40 रुपये था, सरकार कहती है कि 1983 में वह जमीन 400 रुपये की है यानी 10 गुना उसका भाव बढ़ गया है। इसके हिसाब से तो 1977 से 1983 तक ही प्राइसिज दस गुनी हो गई हैं लेकिन जब आप दस परसेन्ट के हिसाब से लगाते हैं तो प्राइसिज सौ वर्ष में दस गुनी होती है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अंधेर कर रखा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आवाम, परिषद् अधिनियम बना रखा है। इस एक्ट की जो सैक्शन 4 और 6 है उसमें तो तीन वर्ष का अन्तर है। लेकिन वहां इसको भी नहीं माना जा रहा है। वहां लोगों के खिलाफ कार्यवाहियां हो रही हैं। मैंने इसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत से पत्र लिखे परन्तु उनका कोई जवाब नहीं मिला। मैंने यहां पर सदन में भी मामला उठाया और कहा कि यह कांस्टीच्युशन के खिलाफ काम हो रहा है। आपके यहां की जो सैक्शन 4 और 6 हैं, वे उत्तर प्रदेश अधिनियम की सैक्शन 22 और

28 के बराबर हैं। इस सम्बन्ध में कोर्टों में केस चल रहे हैं। मैंने वहां की सरकार को बहुत लिखा और प्रधान मंत्री से भी मिला। प्रधान मंत्री जी के पास मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और मंत्रियों के पत्रों की 17 फोटोस्टेट कापियाँ ले गया जिनमें यह लिखा हुआ था कि आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन क्या आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं यह कोई नहीं बताता था। क्या आवश्यक कार्यवाही की गई इसका कोई जवाब नहीं देता था। जब मैं प्रधान मंत्री जी से मिला तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। मैंने उनसे यह कहा कि क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है, वह मुझे बताया जाए। फिर प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि क्या कार्यवाही की गई है, यह दिगम्बर सिंह को सूचना दी जाए। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने जवाब के साथ अपने सैक्रेटरी का वह जवाब नत्थी कर दिया जो कि मेरे पास पहले आ चुका था। उसमें लिखा था कि कार्यवाही हो रही है, आपको यहां आने की तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मेरे पास पचासों पत्र हैं।

आप कहते हैं कि क्या चिंता है, लेकिन माननीय मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने सैक्शन 4 और 6 के नोटीफिकेशन के बीच एक वर्ष का अन्तर कर दिया है और उसके बाद दो वर्ष का अवार्ड कर दिया है। अगर आप तीन वर्ष से बढ़ाते हैं तो उस पर ब्याज देंगे। मैंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन दिया है। जिसके अनुसार मैं चाहता हूँ कि या तो आप नोटीफिकेशन के टाईम का हमें कम्पेनसेशन दे दो, इस पर हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर नोटीफिकेशन के टाईम और अवार्ड देने के टाईम में तीन वर्ष से अधिक का अन्तर हो तो 3 वर्ष का जब आपने जमीन का पोजेशन लिया है। वह टाईम एक वर्ष से अधिक का है तो आप

हमें एक वर्ष पहले का दे दो। मेरे संशोधन का यही आशय है कि जब भी क्लेक्टर पोजेशन लेगा उस समय के भाव का कम्पेनसेशन तय होगा। प्रधान मंत्री जी ने जो ऐलान किया था मेरा संशोधन उसके अनुरूप है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे मान लें। जब भूमि ली जाएगी तभी का कम्पेनसेशन तय होना चाहिए। हमें ब्याज जो दस परसेन्ट आपने रखा है, उस की जरूरत नहीं है। जब आप हमारी जमीन का कब्जा लेते हो हमें उस वक्त का मुआवजा दे दो।

आप हमारी जमीन पर कब्जा करते हो तो हम से 2 रुपये 50 पैसे वर्ग गज के हिसाब से लेते हो। जमीन पर से किसानों को बाहर कर दिया जाता है, उनकी झोपड़ियों से बाहर कर दिया जाता है, उनकी भैंस और मवेशी बाहर कर दिये जाते हैं। आप उसी जमीन को पूंजीपतियों को 17, 334 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से दे देते हो। माननीय सदस्यों में से क्या कोई ऐसा है जो इस भाव में जमीन की खरीद सके? ये तो बड़े पूंजीपति ही खरीद सकते हैं और आप उनको ही जमीन देते हैं।

किसान से जमीन ली गई ढाई रुपये गज और उस एक एकड़ पर मुनाफा कमाया 8 करोड़, 24 लाख...

श्री राम प्यारे पनिका : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का मत यह है कि पजेशन के समय मिलना चाहिए ठीक है, लेकिन उसमें 18 परसेंट से कम सूद नहीं होना चाहिए।

14.47 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI in the Chair.]

श्री दिगम्बर सिंह : मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जब टी. बी. पर प्रधान मंत्री जी का भाषण

सुना और किसानों के हित की बात आई किन्तु होता कुछ नहीं तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उसी वक्त पत्र लिखा। मेरे पास वह पत्र है। मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखा कि आप किसानों के हित की बात करती हैं। किसानों के हित का फैसला होने वाला है। मैंने तय कर लिया है कि या तो मैं इसको करवाऊंगा नहीं तो बिना प्रचार किए मैं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। किसानों से चुन कर आने वाला व्यक्ति यदि किसानों की भलाई नहीं कर सकता तो उसे वही करना चाहिए। मैंने यह भी सोचा कि आमरण अनशन कर दूँ। स्पीकर साहब ने कहा कि -ऐसा मत करिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब भी आंसू आ रहे हैं। इसलिए मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि जिन प्रधान मंत्री जी ने कांग्रेस के संसद सदस्यों से कहा था रैली में, जब चुनाव में आप आएंगे और वोट मांगेंगे तो वे पूछेंगे कि प्रधान मंत्री ने कहा था वह बिल पास करा लिया कि नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस पर वोटिंग कराऊंगा और एक लिस्ट बनाऊंगा। अखबार वाले तो नहीं निकालेंगे लेकिन मैं विज्ञापन के रूप में पैसा देकर इसको निकलवाऊंगा। कि इन माननीय सदस्यों ने इस अमेंडमेंट के पक्ष में वोट नहीं दिए। इसलिए मैं यही कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी ने जो कहा था कि मुआवजा वक्त का मिले जब भुगतान हो। इसका ही मैं समर्थन करता हूँ। इसके पक्ष में बोल रहा हूँ और यह अमेंडमेंट रखा है। इसके अलावा अध्यक्ष जी ने जो बात कही थी, उस पर भी सरकार का कोई अमेंडमेंट नहीं आया। यह भी पता नहीं है कि 12 परसेंट ब्याज के अमेंडमेंट का क्या हुआ। यह भी पता नहीं है कि उस प्रावीजों का क्या हुआ। इस बारे में अभी इसमें कन्फ्यूजन है। जब तक ये स्पष्ट न हो जाएं तब तक इस बारे में बात नहीं की जा सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब यह बात

स्पष्ट हो जाए तब मुझे फिर से थोड़ा सा बोलने का मौका दिया जाए। तभी किसानों के साथ न्याय हो सकेगा।

सभापति महोदय, मैं बड़े दुःख भरे दिल से कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य इस संशोधन के पक्ष में वोट दे दें। अगर इस पर प्रधान मंत्री जी नाराज होंगी या किसी को पार्टी से निकालेंगी तो मैं उनके दरवाजे पर भूख हड़ताल कर दूंगा। मैं किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ।

श्री राम प्यारे पनिका : (रार्वट्स गंज) सभापति महोदय, मैं एक क्लेरीफिकेशन करना चाहता हूँ। किसान रैली में मैं भी था। प्रधान मंत्री ने सिर्फ यही कहा था कि जिस समय जमीन ली जाएगी, उस समय का मार्केट वैल्यू किसानों को दे दिया जाना चाहिए। ये जो धमकी दे रहे हैं यह गलत है। अगर पजेशन के समय पर मुआवजा देने की बात मान ली जाएगी तो हिन्दुस्तान में कोई फँकट्टी नहीं बन सकेगी।

सभापति महोदय : दिस इज नाट प्रापर।

श्री दिगम्बर सिंह : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी ने नहीं कहा था। मेरे पास कर्टिंग है, आज इजाजत दें तो मैं पढ़ कर सुना दूँ।

सभापति महोदय : अभी जरूरत नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : सुना दीजिए। सदन को गुमराह करना ठीक नहीं है।

श्री दिगम्बर सिंह : 17 फरवरी 1981 के अमर उजाला में जो श्रीमती गांधी के भाषण का अंश छपा है, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ।

“श्रीमती गांधी ने घोषणा की कि जो जमीन सरकार लेगी, उसका तुरन्त मुआवजा दिया जायेगा। इस बारे में नीति में परिवर्तन किया जायेगा। अब किसानों को पूर्ण कीमतों से मुआवजा दिया जायेगा। उनकी जमीन का अनुपात मुआवजा दिया जायेगा। इस अनुपात में मुआवजे के भुगतान के दिन जमीन का मूल्य होगा। कौई भी संस्था किसानों की जमीन सस्ती कीमत पर खरीद का लाभ न उठा सकेगी।”.....(व्यवधान)।

मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे जो दो संशोधन हैं, उनको मंजूर कर लीजिए। जब भूमि ली जाएगी तो उस समय का बाजार भाव दिया जाए। अगर इसको नहीं माना जा सकता तो नोटिफिकेशन के समय का या जब अवार्ड तय हो तो उससे तीन वर्ष पहले का, होना चाहिए। जो भी कम हो वह मान लिया जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़नेर) : सभापति महोदय, लैण्ड एक्वीजिशन अमेंडमेंट बिल, 1974 जो सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थव करता हूँ। लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट 1894 में बना था। उसके बाद 1921, 1933, 1933, 1962 और 1967 में अमेंडमेंट हुए। अभी तक जो अमेंडमेंट्स प्रस्तुत हुए हैं, उन सबसे यह प्रगतिशील विधेयक है। अपोजीशन की ओर से जो बोले हैं, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि लैण्ड एक्वीजिशन के बारे में जो पहले कदम उठाए गए थे और जो संशोधन रखे गए थे, उन सबसे प्रगतिशील संशोधन पेश हुआ है।

मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया, उसमें दो बातों पर विशेषतौर से प्रकाश डाला गया। उसमें मेरी राय भिन्न है। एक तो प्रश्न यह है कि रोजगार देने के लिए इस संबंध में कुछ

डायरेक्शन्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए जायेंगे, यह इसमें रखा गया है। प्रश्न यह पैदा होता है कि जिनकी जमीन ली जाती है, उनके एम्पलायमेंट के लिए प्रोविजन नहीं किया जाता और न ही उन क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। मैंने यह भी गहराई से सोचा कि इस संबंध में कानून बनना चाहिए। लेकिन, यह कानून बनाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कानून बनने पर उनको एम्पलायमेंट देना कम्पलसरी होगा। इसलिए, यह एक चिन्तन का विषय है। इस सम्बन्ध में जिस तरह की डायरेक्शन्स स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए, वे ऐसी होनी चाहिए जिनका पालन किया जा सके। वे औब्लिगेटरी हों। हमें यह भी विचार करना चाहिए, चिन्तन करना चाहिए कि किस तरह से हम उनको कानूनी शकल दे सकते हैं और किस तरह से औब्लिगेटरी बना सकते हैं। ताकि जितने लोग उस स्थान से उखाड़े जाएं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो सके, उनको बसाने का कार्य किया जा सके।

अक्सर यह देखा जाता है कि हमारे यहां जितने बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं, वहां से पहले गरीब लोगों को हटाया जाता है और तब उनकी स्थापना की जाती है। लेकिन उन विस्थापितों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता। फिर उनको किसी उचित स्थान पर बसाने के कार्य, या उनको एम्पलायमेंट उपलब्ध कराने के कार्य की ओर सरकार ध्यान नहीं देती। मैं राजस्थान के बारे में जानता हूँ। वहां जितने भी स्टेट एन्टरप्राइजेज या बड़े उद्योग लगे हैं, वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हम जैसलमेर या बाड़मेर के किसी स्थान पर आर्मी के लिए कैंटोनमेंट की स्थापना के लिए कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखते हैं, उसी तरह अन्य स्थानों पर भी होना चाहिए और उनको उन स्थानों से उखाड़ने के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था

उनके बसाव और रोजगार की होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उनको राजस्थान में कैनल में बसाने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसी तरह से दूसरे प्रान्तों में ऐसे स्थानों का चयन हो, जहां कैनल भूमि उपलब्ध हो, वहां विस्थापितों को बसाने में प्राथमिकता मिले। जब उनको कम्पेन्सेशन मिल जाता है तो उसके बाद हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उनको कैनल एरियाज में बसाया जाए और उसके लिए कोई चार्जेंज न लिए जाएं। जमीन की सीमा निर्धारित की जा सकती है कि एक व्यक्ति को अधिक से अधिक ऐसे क्षेत्र में कितनी भूमि दी जाए, वह 20 बीघा भी हो सकती है, 25 बीघा भी हो सकती है। इससे उन लोगों में संतोष की भावना होगी कि चलो हमें राजस्थान कैनल में जमीन मिल जाएगी या दूसरे प्रान्तों में हमें ऐसी जगहों पर जमीन मिल जाएगी जहां सिंचाई आदि की सुविधा उपलब्ध हो। वे लोग समझेंगे कि अब हम एक नया जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस आदमी की जमीन ले ली जाती है, उनका मुआवजा ठीक तरह से आंकलित नहीं किया जाता है, किसी एग्रीकल्चरिस्ट की जमीन का आंकलन तो ठीक से हो जाता है, परन्तु किसी बिल्डिंग वगैरह का ठीक आंकलन नहीं होता और इसलिए उनको उचित कम्पेन्सेशन नहीं मिल पाता।

कम्पेन्सेशन के बारे में अभी हमारे एक मित्र अपने विचार प्रकट कर रहे थे कि हमें मार्केट रेट्स के मुताबिक कम्पेन्सेशन देना चाहिए। लेकिन कौनसा मार्केट रेट हमें ध्यान में रखना चाहिए, वह किस तारीख का मार्केट रेट हो, यह प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन है। यह भी प्रश्न विचार करने का है कि एमर्जेंट केसेज में हमारे यहां सैक्शन 6 (1) के अंतर्गत वर्तमान मार्केट रेट का 80 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन वह किन्हीं खास परिस्थितियों में एप्लीकेबल होता है। यदि

किसी जमीन का कम्पैनेशन हम उसी समय के मार्केट रेट्स के आधार पर 80 प्रतिशत के हिसाब से दे देते हैं तो मैं समझता हूँ किसी को इससे एतराज नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ एवार्ड विलम्ब से दिया जाता है, वहाँ हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जमीन लेने के प्रोक्लेमेशन नोटिफिकेशन जारी होने और एवार्ड दिये जाने के बीच के समय का किसान को कैसे लाभ दिया जाय। जिस व्यक्ति की जमीन ली जाए, एवार्ड मिलने तक के बीच के समय में उसे क्या लाभ मिले, यह प्रश्न सोचने का है। गवर्नमेंट का व्यू यह है कि डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन को ही आधार मानकर कम्पैनेशन का निर्धारण किया जाना चाहिए और उस बीच की अवधि का उसे इन्टरेस्ट दिया जाए। यहाँ मेरा एक निवेदन यह है कि वह रेट ऑफ इन्टरेस्ट कम से कम उतना हो जो रेट ऑफ इन्टरेस्ट हमारे बैंक इस समय देते हैं।

15.00 hrs.

अभी बैंक रेट 10 परसेंट बताये गये हैं, वह आज के वक्त में नाक़ाफी हैं। ये रेट्स बराबर बढ़ते जा रहे हैं, 10, 12, 15, 18 परसेंट और आज अगर 20 परसेंट हो जाये तो उसी प्रकार के इन्टरेस्ट आपको देने चाहिए। यह दृष्टिकोण आपको अपनाना चाहिए।

जो व्यू आपने रखा है कि पोजेशन जब दिया जाये, उसमें 2, 3, 4 साल भी लग सकते हैं और फिर उसका मार्केट रेट निर्धारित किया जाये, प्रिंसिपल कोई भी समझदार आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : 3 साल की लिमिट है उसमें एवार्ड नहीं दिया तो लैप्स हो जायेगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अगर 3 साल में नहीं दिया तो लैप्स हो जायेगा। उसके बाद

फिर आप नये सिरे से चालू करेंगे। जिसकी जमीन होगी उसको वापसी की प्रोसीडिंग फाइट करनी पड़ेगी और उसको फिर खर्चा करना पड़ेगा। तो लैप्स वाली प्रोसीडिंग के बारे में भी सोचने की बात है। इससे हल नहीं होगा। जिसकी जमीन ली जायेगी, उसको तो नुकसान होगा, उसे कोई लाभ नहीं होगा। यह पनिशमेंट भी किसान को मिलेगा।

कहने का अर्थ यह है कि लैप्स का प्रावीजन एग्रीकल्चरिस्ट्स के इन्टरेस्ट में नहीं है, न न्यायप्रद है, इसको हटा देना चाहिये, इसको रखने से कोई लाभ नहीं है। न इंडस्ट्रीज के लिए इससे लाभ रहेगा।

सबसे बढ़िया चीज इसमें की गई है जो डैफिनिशन दी गई है पब्लिक परपज। उसमें जो आइटम इन्कलूड किये गये हैं वह सब पब्लिक इन्टरेस्ट के हैं, वे लाजमी और आवश्यक हैं। उसमें यह भी लिख दिया गया है — but it does not include acquisition of land for a company.

यह प्रावीजन एग्रीकल्चरिस्ट्स के हित में है। नहीं तो कंपनी को भी वही लाभ मिलता है जो गवर्नमेंट को मिलता है। इससे हमारे यहाँ भी यह स्थिति होगी (ii) Acquisition of land for non-Government companies under the Act will henceforth be made in pursuance of Part VII of the Act in All cases."

यह एग्रीकल्चरिस्ट्स के हित में है।

अभी एक बड़ा भारी कारखाना एक सेठ द्वारा सिरोही जिले में स्थापित किया जा रहा है। वह बहुत ही उपजाऊ जमीन लेना चाहते हैं। उससे किसानों को बड़ा भारी नुकसान होता है। परन्तु लैंड एक्वीजीशन एक्ट ऐसा बना हुआ है कि उनको बहुत सुविधा मिलती

है। इसमें जो प्रावीजन किया गया है उससे वह गवर्नमेंट की फुटिंग पर नहीं आयेंगे, वह उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए यह प्रावीजन किसानों के हित में किया गया है। अगर प्राइवेट कंपनी कोई उद्योग स्थापित करने जा रही है तो उनको चैप्टर सैवथ आफ दी एक्ट के मुताबिक कार्यवाही करनी पड़ेगी। पार्ट 7 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से उपजाऊ जमीन नहीं ली जा सकती। यह प्रयास करनी चाहिए कि किसान की उपजाऊ जमीन न ली जाए, जिसमें दो तीन फसलें होती हैं।

अगर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की जमीन ले ली जाती है, तो उनके पास जीविका का और कोई जरिया नहीं रहता है। इस लिए उनकी जमीन लेते हुए उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। आज किसानों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की जमीन लेने से उन्हें नुकसान होता है। गवर्नमेंट को यह प्रयास करना चाहिए कि उन्हें मार्केट रेट के आधार पर मुआवजा देने के अलावा हर प्रकार की सुविधाएं, कनसेशनज और सबसिडीज आदि दी जाए, ताकि वे यह महसूस करें कि अगर उद्योग के स्थापित होने से हम उजड़ गये हैं, हम बेघरबार हो गये हैं, हमें दूसरे स्थान पर जाना पड़ा है, तो इसके साथ ही हमारे सैक्रीफाइज के बदले में हमें एक ऐसा जीवन मिला है, जिसमें हमारी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो गई है।

प्रजातंत्र के युग में हमें किसानों, गरीबों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से ही शक्ति मिलती है। वे ही प्रजातंत्र को मजबूत किये हुए हैं। इसकी तुलना में लैंड-लाइज और राजा-महाराजाओं ने अपने वेस्टिड इन्ट्रेस्ट्स को नहीं छोड़ा है। सीलिंग एक्ट पास होने के बावजूद उन्होंने अपनी जमीनें नहीं

छोड़ी हैं और उन्होंने प्रगतिशील कानूनों को सपोर्ट नहीं किया है। हम अभी तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को जमीन नहीं दे पाए हैं। जब हम उद्योग स्थापित करने के लिए, या एजुकेशनल परपज के लिए या डेवेलपमेंटल परपज के लिए कोई जमीन लें, तो हम इस बात ध्यान रखें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोग, जिनसे जमीन ली गई है, प्रसन्न और सैटिसफाइड हों कि उनके हित की रक्षा की गई है और उनको कोई कष्ट न हो इसी दृष्टि से हमें अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए और कानून बनाना चाहिए।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : सभापति महोदय, यह कितने आश्चर्य की बात है कि गुलामी का शासन खत्म होने के बाद स्वतंत्र भारत में इतनी देर से यह कानून लाया गया है। इस बिल को बहुत सोच-समझ कर लाना चाहिए था। जिस तरह श्री दिगम्बर सिंह ने बात की है, उससे ऐसा लगता है कि यह बिल प्राइम मिनिस्टर और अध्यक्ष महोदय की राय से लाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की कनसल्टेटिव कमेटी का मैं भी सदस्य हूँ। उसमें यह राय बनी थी कि इस बारे में परामर्श होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह कनसल्टेटिव कमेटी सब धोखा है। नौकरशाहों द्वारा जो बिल तैयार किये जाते हैं, उनको यहां पेश कर दिया जाता है।

1982 के बिल को वापस ले लिया गया है, लेकिन इस बिल को व्यापक रूप नहीं दिया गया है। इस बिल का विरोध ट्रेजरी बैंकों और विरोधी पक्ष दोनों की तरफ से किया जा रहा है। अगर इसमें उचित संशोधन नहीं किये जा सकते, तो इस बिल को वापस ले लेना चाहिए और 27 तारीख को एक अधिक अच्छे और व्यापक बिल को लाना चाहिए।

सवाल यह है कि अगर कलेक्टर ने 1984 से पूर्व अधिसूचना जारी कर दी, तो उस जमीन का मुआवजा किस समय के हिसाब से दिया जाएगा। अगर 1959 में अधिसूचना जारी कर के जमीन ले ली गई, तो उसका मुआवजा किस समय के हिसाब से दिया जाएगा? बीस-पच्चीस साल के बाद जमीन का मूल्य कई गुना बढ़ गया है, लेकिन किसानों को बहुत कम मुआवजा मिलेगा। जो हमारा सम्पत्ति का मौलिक अधिकार है उसका भी बटवारा कर दिया। किसान के अधिकारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसके अधिकारों की आपने कोई रक्षा नहीं की।

आपने कहा कि औद्योगिक संस्कृति पनप रही है, सड़कें और रेल बनेंगी। ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप यह तो देखें कि उसको अपनी जमीन की क्या कीमत दी जाती है। आज दिल्ली में कोई सेठ किसान की जमीन 10,000 रु० बीघा में लेता है उसको बाद में कितने में बेचता है। और आप उसको बाद में रेगुलराइज भी कर देते हो। मौलिक अधिकारों को संरक्षण देना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम किसान के इस अधिकार को छीनते हैं तो यह कानून के खिलाफ है। इसलिए आप आश्वासन दीजिए कि जिस किसान की सिंचित भूमि ली जाएगी उसको बदले में सिंचित जमीन ही दी जाएगी चाहे भले ही वह राजस्थान कैनल एरिया में हो।

आज बिना पढ़ा लिखा आदमी ही खेती करता है क्योंकि वह प्रोफिटेबिल नहीं है। किसान के पास पहनने को कपड़ा तक नहीं होता। उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, न वह नौकरी कर सकता है और आप जैसे व्यक्तियों के यहां नौकरी करता है। आज उसके सामने सिवाय खुदकशी के और कोई चारा नहीं है। मेरी मांग है कि जिनकी जमीन ली जाय उनको नौकरी देने का अधिकार मौलिक अधिकारों में करना चाहिए। आपने कहा कि

इस बारे में हमने सभी राज्यों से कह रखा है, लेकिन हम उनको बाध्य नहीं कर सकते। मेरा कहना है कि राज्य सूची में यह अधिकार होना चाहिए कि अगर किसी का अधिकार छीनें तो उसको रोजगार देंगे।

किसान का पूरा परिवार खेती में लगा रहता है और हम सारे के सारे नम्बर दो के आदमी हैं जो किसान के हित के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। यहां कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। किसान के साथ हम कितना मजाक कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दूँ कि हमारे राजस्थान में कोटा जगह है वहाँ महाराजा भीमसिंह की जमीन मिलिटरी ने ली सीलिंग की और जब उसका अवार्ड होने लगा तो राजस्थान सरकार ने कहा कि यह जमीन सीलिंग में आ चुकी है इसलिए उसका मुआवजा राजस्थान सरकार को मिलना चाहिए। वह मुआवजा सरकार को आज तक नहीं मिला, और दूसरी तरफ महाराजा को 1 करोड़ रु० दे दिया। एक तरफ आप 10 बीघा वाले किसान को खुदकशी के लिए तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजा, महाराजाओं को संरक्षण दे कर आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए इस बिल को या तो आप वापस लें, नहीं तो जिस रोज किसान की जमीन का कब्जा लें, चाहे डिक्लेरेशन ऐक्वायर करने का कभी भी हुआ हो, मुआवजा कब्जे की तारीख से ही देंगे। इस शर्त पर तो हम इस बिल का समर्थन करेंगे, नहीं तो डट कर विरोध करेंगे। और जो माननीय दिगम्बर सिंह जी ने कहा इस पर हम वोटिंग करायेंगे और जो लोग इस बिल का समर्थन करेंगे उनके नामों को हम गांवों के अन्दर ले जायेंगे और बतायेंगे कि यह किसान विरोधी व्यक्ति हैं। माननीय दिगम्बर सिंह ने प्रधान मंत्री का और सदन में हुई चर्चा का हवाला देते हुए सब बातें बतायी हैं, और मैं उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता हूँ। अन्त में मैं अनुरोध करता हूँ कि जिनके

अधिकारों को आप छीनते हैं उनके लिए आपको कुछ करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

PROF. N.G.RANGA (Guntur) : Mr. Chairman, Sir, I am glad that this Bill has been brought forward by my hon. friend, the Minister. This is not a satisfactory Bill. I am not satisfied with it. But, at the same time, it is an improvement on the existing legislation. Therefore, I welcome it for whatever it is worth. But, then I would like another Bill to be introduced as soon as possible. How soon, how do we know? My hon. friend Shri Digamber Singh has given the entire history of the progress or the non-progress of the legislation over a quarter of century.

Congress has been in favour of the farmers in this matter even in those days when I was fighting the Congress Party's land policies. So far as land acquisition was concerned, Congress was in favour of the farmers. Something happens here in the Secretariat or in the Ministers; but no special serious consideration is given - as has been detailed by Shri Digamber Singh himself - to this legislation and then to the preparation of a comprehensive bill and getting it passed. Many a time, many an effort has been made. There was an Enquiry Committee also, of which I think the former justice Mr. Mullah was the Chairman. I was also a member of that Committee and we went round the country, gathered a lot of evidence and we formulated an amendment Bill also. But that was not taken up. Now, this kind of atrophy on the part of the administration and the Ministries has got to be overcome. Unfortunately, all parties are in favour of the farmers when they are in the Opposition, but when they are in power, they are found wanting. Even the Agricultural Commission suggested that it should be radically amended. Anyhow, as it is, to the extent that it goes, this Bill is good enough because we cannot get anything more and we have waited too long even for these small mercies.

Sir, why do we want this kind of a legislation? From a socialist point of view,

there can be two ways of looking at it. One is that of Communists. They do not believe in anybody owning any land at all. And the other is that of socialists, especially Gandhian Socialists like myself, who look upon land not as property alone, but more as a source of living, as a source of economic independence, self-employment and security of employment.

Secondly, after the Ceiling Acts have come to be passed at the State level as well as at the Central level, it is no longer relevant for anybody to raise any objection saying - "Oh, these are Rajas and Maharajas, big landlords, zamindars and jagirdars, these people want to make so much capital out of this, when Government wants to compulsorily acquire the land, etc." That zamindari pratha is all gone. If a few States like Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and some other States are backward from the point of view of enforcing ceilings it is because the local farmers' organisations, the Congress organisations and the other social welfare organisations and the political parties are so ineffective that they allow a few people here and there not so many, not everywhere, but here and there - somehow or the other to manage to have hundreds of acres within their own family control. It is not the fault of the farmers. Farmers are all generally small people. There are a few rich people, but they are not landlords.

But they are not landlords. Secondly, there are middle-class farmers. Most of them are small farmers and marginal farmers. So far as the latest policy of the Congress Government is concerned, it has come to be a common policy adopted by all political parties. Marginal farmers are now being sought to be specially favoured, and protected. The increase in their numbers is being welcomed by everybody. It is these people who generally suffer from this kind of a compulsory land acquisition, and inadequate compensation.

What happens to these people? My friends, the Communists and the official Socialist Party people in this House and outside also go on asking for alternative employment whenever a factory is closed, and say that compensation also should be

paid to workers. When a factory is closed for work, or a lock-out is ordered, lay-off payment is being demanded for the workers. By the same token, is it not right for me or anybody else to demand that the Peasants or farmers should be protected? They are all workers. Most of them are actual workers. They are not what you call absentee land-holders. Only 1% or 2% of them may be absentee land holders. Their number may be increasing or decreasing according to circumstances in different States. Almost all of them, I should say, are actual workers, i.e. employees. At the same time, they are their own employers. Therefore, it is self-employment. They do not exploit anybody, and it is this kind of a property which is not amenable to the exploitation of the society as a whole or any section of the people, which has got to be dealt with by you in a very sympathetic, careful, considerate manner.

Unfortunately, till now the approach of various Governments in the past before we achieved our freedom, and thereafter also of the Congress as well as Janata Governments, has not been as favourable to the farmers as it should have been. I would not like to use the word 'farmer' many times. It goes against my grain. They are peasants, peasant-owners, and peasant-cultivators. They are self-employed people. They are as good as, or better than industrial workers. Therefore, I want the Communists and Socialists to look upon these people to be worthy of their consideration, sympathy and support, as the industrial workers for whom they always pay special attention.

I do not begrudge their sympathy for the industrial workers, but I expect them to show similar consideration for the farmers also.

Land is being taken compulsorily. For what purpose? For public purposes. I think it was at the time of Nehru himself that the first dent was made in regard to this. Earlier, land was taken over for social purposes—for schools, colleges hospitals, agricultural purposes, housing purposes and to repair the land that was lost, i.e. to make good the land lost in times of natural calamities etc. Thereafter, during the first phase of the Congress regime, an exception was

made in respect of industrial needs, because Planning Commission came to place its own plans for a grandiose development of industries all over the country, on the plea that with the development of industries, be so much more employment could be provided to our people for our surplus labour in agriculture. There has always been surplus labour in agriculture. Those people have to be provided some employment. There are clear limits on land. So, some other employment, viz. through industry should be provided. How can you have industries, unless you have factories? Therefore, factory-owners were authorized to lay claim for such and such area, for the construction of their factories.

At that time, we were all criticizing that this Government was trying to favour the Bombay industrialists and the Kanpur industrialists.

But, anyhow, it was a good thing. I come to be in favour of it. Industries have to be developed. Alternative employment has got to be provided for agriculturists when they go to the towns or even townships and bigger villages and so on. We want more and more industries. Therefore we do not grudge that also. Now, for these public purposes, there land has got to be taken over for irrigation projects, dams, construction of dams and so many other things. When that land has got to be taken over, the main bone of contention is when is to be taken over? There are rules for it. When the land is taken over, what compensation has to be paid? For a long time, there was a great controversy that it should be the market value. What is that market value? As the stamp duty has come to be raised higher and higher because the State Governments were anxious to get more and more income, The sellers as well as buyers have combined and started cheating the government by quoting lower and lower prices than what actually come to be paid between one and the other. Therefore, the market value cannot be judged merely by looking at the sale deed; it can be judged only by putting the land to public sale; and then alone we would know its true value. In course of time, that amendment can be made which would give the benefit of sale value as it is achieved through a public sale, if it is higher than the

market value; either market value or the sale value; in a nutshell one or the other. Now, that is not provided here unfortunately.

Secondly, when is it to be paid? Here it is said when the Collector makes an announcement. Is that the right time? My hon. friend has been saying quite rightly that it should be at the time when the land is actually taken possession of by the government or by the Collector or through the officers or through the good offices of the Collector, by the industrialists and various other people who take over our land. That is not being provided unfortunately. That amendment a so need to be made in course of time, as soon as possible, if that is at all possible.

I hope all parties should now try to compete with each other when they go to the polls very soon in a few months and then make this promise to the people so that when they come back again in Parliament, one or the other, whichever party maybe in power, all parties being to take the next government to task and see to it that the farmers are properly protected in regard to this matter. There must be a solatium paid. So many people have been questioning why should solatium be paid. Some communists, I have heard them, raising this objection for the simple reason that there you are denying that peasant not only his property but also his means of living, his self-employment, his security. More than anything else self-employment is the most important thing. Even in Yugoslavia and other socialist countries which are now following the example of Yugoslavia, a special premium is being shown by all their planners for self-employment. What is meant by self-employment? He would be free from the thralldom of employers: (1) of the capitalists; (2) of the communists employers and communist dictators; (3) He would be free from all the trouble and he would himself be the employer, employer for his family; and it is that that is instinct in this land ownership; and that is why this solatium has got to be when you deprive him of it. I am glad that the government has come forward in this Bill to raise it from Rs. 15 to Rs. 30. But, unfortunately, in several States, different rates of solatium are being offered. Therefore, I would like the Government of India

to see to it that this 30 per cent will be made applicable all over India to all kinds of lands that will be taken over under Compulsory Land Acquisition Act supervening whatever solatium that prevails in other States if it happens to be lower than this.

Lastly, about interest rate, they want to pay only 10 per cent. I have myself given notice of an amendment. I want to be as reasonable and accommodative to the Government as possible by suggesting only 12 per cent. I thought that the Government could come forward, after seeing that I have given notice of this, with their own amendment saying that they would accept this 12 per cent. It is a pity that they have not done it. I sincerely hope that my hon. friend, the Minister, when the time comes for considering these amendments, would be able to agree to at least 12 per cent. All our friends have been saying that it should go up to 16 per cent and all that in relation to the monetary policy of the Government. Are the peasants alone to suffer in this manner? In every other transaction the bank rate is the most important thing. It is the lowest. If you go to the rural areas and try to borrow money from private merchants, the usual rate is 24 per cent. Even a cooperative bank will not lend you money at 10 per cent. Therefore, it is not too late to consider my suggestion.

There is one other good point in this Bill. Hitherto the proceedings have been too long. It has been reduced to one year. In another sphere, they have increased the interest rate from 6 per cent to 9 per cent. All this is good but not good enough. So much can be said on this.

But I hope, this Bill meets the approval of all section of the House only to the extent it has gone. And I hope that the Government will come forward with a more comprehensive Bill as soon as possible, if not before the elections, at least soon after the elections. I hope, my Party would come back to power. I trust, my party would be wiser and more favourable to the farmers than it.

I wish to thank my friend, Digambar Singh, who is so loyal to the farmers and

continued to fight for these improvements. I am sure, these improvement own as much to him as to anybody else.

SHRI G. NARSIMHA REDDY (Adilabad) : Several Members have already spoken on this. So, I will confine to only two or three points.

It has taken 90 years for this amending Bill to come before the House. Mr. Ranga is hopeful that again an amendment will come. I am not hopeful because the present amendment has taken 90 years and it may take another 60 to 70 years for another amendment to come. Therefore, if at all there is any lapse, we will have to correct it now.

I will not go into the small amendments on which other Members have been speaking. I will touch only one point. Although many good amendments have been brought to the original Act, the main thing which the hon. Minister has mentioned while speaking, is regarding the compulsory acquisition of land. I would only like to say that those persons who are small and marginal farmers and who will be losing the land and do not have any other alternative livelihood, for such farmers whose land is going to be acquired compulsorily we say that we are doing it, for the community development, for the nation and society. I would like to ask the hon. Minister through you how many people make this society. According to our report, more than 50 per cent of the people live below the poverty line. The small farmers are in majority in this country. How is it that for small sections of the people we are interested in sacrificing these small people? On the other hand, whenever this country develops or progresses forward, the first benefit of the progress or the development should go to the poorest of the poor. After the Bill is passed, I am only sorry to say that this will be implemented in a very wrong direction.

My main point is let us not wait for any other Bill to come. Every section of this House is agreed on this point. So, my suggestion is whenever you take some land under Compulsory Land Acquisition Act, from a small or a marginal farmers or from a farmer who has no other alternative of his

livelihood, you should purchase the land at the market price in other parts of the village or nearby that village and give that land to him. When the land is taken for an industry, there is a circular from the Government of India that any industry which takes the land, it will have to give employment to the people from whom the land is taken. But the experience shows that even public undertakings of Government of India are not giving them employment. Therefore, I would only say that be careful before you get this Bill passed. You will have to make a provision for the small people if you want to take their land. Don't sacrifice them for the nation. Whenever the country has to be developed, you must see that the benefits of that development reach the poor people.

DR. A. KALANIDHI (Madras Central) : Mr. Chairman, Sir, on the Land Acquisition (Amendment) Bill, 1984, on behalf of DMK, I wish to make the following suggestions.

I have no hesitation in heartily hailing this Bill which serves, to some extent, the interests of the people whose lands are acquired for public purpose.

The solatium is being increased from 15 per cent of the market value to 20 per cent. Here I have to point out that the interest payable on the excess compensation awarded by the court, and on the compensation in cases where possession of land is taken before payment of compensation, is proposed to be increased substantially. I want to know what should inhibit the Government from stipulating specifically this increase.

Similarly, the circumstances under which the Collector should take possession of the land before the award is made in urgent cases, are being enlarged to include a larger variety of public purposes. This is being done, according to me, to suppress political dissent in semi-urban areas. Under any assumed public purpose, the land of a political opponent can be taken over. I want that all the varieties of public purposes should be enumerated in a Schedule to this Bill.

In Delhi, the Delhi Development Authority and in Madras, the Madras Housing Board

have not been able to contain private colonisers. On Raisina Road-Janpath crossing, for a paltry sum of Rs. three crores, the Government land has been given to a Member of this House belonging to the ruling party. A multi-storeyed five-star hotel is coming up fast at this place. I want to know under what category of public purpose this can be brought in? Is it public purpose of a private entrepreneur? This Bill seeks to differentiate the acquisition of land by State and by private enterprise. The Government bungalows were demolished for the benefit of this private entrepreneur. This is an apt illustration of the gulf between the professions and practices of this Government. For a farmer, the compensation will be minimal. Here, in the heart of capital, valuable land has been given to an M. P. at a throw-away price.

What is the use of this kind of laws, ostensibly for the good of common people? But this is just an eye-wash effort, keeping in view the impending elections. I have to point out that this Government is inherently incapable of tackling national issues like land reforms, soaring urban land prices, etc.

Abject poverty amidst abundance is India's exclusive economic paradox. Farm-house culture is being nurtured in the midst of rural hovels. Around Delhi the new ruling class owns spacious farm houses, rubbing shoulders with retired bureaucrats. Farmers do not have drinking water, but the farm-houses blossom forth in full bloom with the help of water cascades. The land is brought at the cost of the farmers, who are over-awed by the purchasers. I want to know whether this Bill will be enforced effectively on the new land-grabbers owing allegiance to the ruling party. Unfortunately, we pay lip sympathy to the imperative needs of 70 per cent of our population. But, all the same, we fleece the farmers.

The exploitation of the cultivators is being engineered by the big land-owners and urban vested interests. I want to suggest that this law should not become a convenient handle for further alienation of land belonging to the peasants. The Government is interested in just touching the fringe of the problem and hail it as the hall mark of

social revolution. The Collectors are given too much powers under this Bill. I am only worried that they should not become Ram Lals. Now the affected landless people have to run from pillar to post for getting compensation. I would suggest that arrangements should be made for the early payment of compensation, as soon as the land is acquired.

In my constituency of Egmore and Chetpet, where the slum dwellers have been living for the last 8 decades, lands have been taken away by the railways. Till date no alternative site has been given to them, either by the railways or by the State Government.

I am supporting this half-baked law because in a democracy even such crumbs become valuable. With these words, I conclude my speech.

श्री जयराम वर्मा : (फैजाबाद) सभापति महोदय, मैं इस भू-अर्जन संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय जो यह बिल लाए हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, यह बात अपनी जगह सही है कि आजादी के बाद सार्वजनिक कल्याण और आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए राज्य की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है इसके लिए जमीनों का अर्जन करने की आवश्यकता बहुधा पड़ती है। परती और बंजर जमीन जब उपलब्ध नहीं होती है तो खेती की जमीन का अर्जन करना होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक कल्याण और व्यक्ति के हित के बीच एक सामंजस्य बना रहे। समाज के हित के लिए एक व्यक्ति को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बिल में इन बातों का ध्यान रखा गया है और यह भी ध्यान रखा गया है कि जिसकी जमीन ली जाए उसको ज्यादा कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। जहाँ तक संभव हो उसका उचित मुआवजा शीघ्र दिया जाना चाहिए।

इसमें कई ऐसी बातें की गई हैं जिससे पुराने एक्ट में काफी सुधार हुआ है। एक तो इसका समय निर्धारित कर दिया गया है। सैक्शन चार उपधारा एक में दिया गया है कि अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक के एक वर्ष के अन्दर ही सैक्शन 6 में गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन कर देना होगा और डिक्लेरेशन के बाद दो वर्ष का समय कलेक्टर को दिया गया है कि वह अवार्ड कर दे।

इस तरह से कुल तीन वर्ष में यह अर्जन की कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए। इसमें एक व्यवस्था यह भी की गई है कि कलेक्टर अगर दो वर्ष के अन्दर मुआवजा तय न कर सकें तो सारी कार्यवाही लैप्स हो जाएगी। अगर आप यह कहते हैं कि वह भूमि फिर अर्जित की जायेगी तो इस प्रोविजन के साथ कार्यवाही लैप्स हो कि उसे फिर अर्जित नहीं किया जायेगा। ऐसा नहीं किया गया तो इससे जमीन के मालिक का नुकसान हो सकता है। यदि फिर अर्जित करनी है तो तीन वर्ष का जो डेमेज हुआ है, वह उसे मिलना चाहिए। इसके साथ ही यह व्यवस्था कर देनी चाहिए कि कलेक्टर के द्वारा दो वर्ष के अन्दर अवार्ड का तय किया जाना जरूरी है जिससे दो वर्ष के बाद कार्यवाही न हो। दो वर्ष के बाद कार्यवाही समाप्त करनी है और फिर जमीन अर्जित करनी है तो इसके लिए और समय मिलना चाहिए। उस समय का उसे मुआवजा मिलना चाहिए। तीस अप्रैल 1982 को जब यह अमेंडमेंट लाया गया था यदि किसी मामले में कार्यवाही पूरी न हुई हो और कलेक्टर के द्वारा मुआवजा तय न किया गया हो तो अधिसूचना के दिनांक से पेसेन्ट के दिनांक तक उसको मार्किट वैल्यू पर दस परसेंट के हिसाब से सिम्पल इन्टरेस्ट प्रस्तावानुसार मिलेगा। इस संबंध में कोर्ट की कार्यवाही की वजह से कलेक्टर की कार्यवाही रुकी रहती है तो उस समय का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। वह भी

उसको मिलना चाहिए। अगर उसे मुआवजा नहीं मिलेगा तो वह उसके साथ अन्याय होगा अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक पर जो मार्किट वैल्यू होगी, उसी आधार पर मुआवजा देने की व्यवस्था है। मैं, दूसरे प्रदेशों की बात नहीं जानता। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कोई निश्चित रकम नहीं होती। जिस रेट पर बैनामा होता है, उसी रेट पर मार्किट वैल्यू मानी जाती है। जहां पर खेती का इलाका है, वहां पर ऐसी जमीनें कम बिकती हैं। अगर बिकती है, तो उनकी मार्किट वैल्यू अधिक नहीं होती है।

सभापति महोदय : जल्दी खत्म कीजिए।

श्री जयराम वर्मा : मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। मैं स्वयं छोटा किसान हूं। मुझे किसानों से बड़ी हमदर्दी है। मैं थोड़ी बहुत जमीन जोतता हूं। यहां पर अन्न नहीं खरीदता हूं। बल्कि अपनी जमीन से पैदा किया हुआ अन्न ही यहां पर खाता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। एक तो आपने यह प्रोविजन किया हुआ था कि नोटिफिकेशन के समय जो मार्किट वैल्यू होगी और दूसरे फसल और पेड़ कटने आदि से जो डेमेज होता है, वह शामिल किया जाएगा।

यह भी प्रोविजन है कि मार्किट वैल्यू पर 15 फीसदी कंपनसेशन तुष्टि धन के रूप में जोड़ा जाए है।

लेकिन यह खुशी की बात है कि इस बिल में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि 15 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत मार्किट वैल्यू का प्रति कर में जोड़ा जाए। ऐसा प्रावधान इसमें जमा किया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे भी किसान को संतोष नहीं होगा क्योंकि तीन वर्षों में मार्केट वैल्यू में कितना अन्तर हो जाता है, वह भी हमें देखना होगा। कहीं कहीं तो यह अन्तर बहुत ज्यादा हो जाता है।

इसलिए जैसा दिगम्बर सिंह जी ने कहा कि हमें मुआवजा कब्जा लेने के समय की मार्केट वैल्यु के आधार पर देना चाहिए, जिस वक्त किसी आदमी से जमीन ली जाए, उस वक्त की मार्केट वैल्यु के आधार पर मुआवजा मिले, बल्कि मैं उससे भी आगे जाकर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल उस वक्त के मार्केट वैल्यु के आधार पर मुआवजा देने से ही काम नहीं चलेगा, इससे किसान संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी जमीन अनिवार्य रूप से जनहित में विशेष कार्य के लिए ली गई है, इसलिए उसको मार्केट वैल्यु से 10 या 15 प्रतिशत अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि जब कोई आदमी अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उसे मार्केट वैल्यु पर दाम तो मिल ही जाते हैं। लेकिन जहाँ किसी को मजबूर होकर जमीन देनी पड़े, किसी दूसरे काम के लिए, जिससे उसकी जीविका समाप्त हो रही है तो उसको मार्केट वैल्यु पर मुआवजा मिलने से ही संतोष नहीं हो सकता, बल्कि उसको मार्केट वैल्यु से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। तभी जाकर उसको संतोष हो सकता है।

मैं यहाँ एक निवेदन यह भी करना चाहता हूँ कि जिस जगह जमीन एक्वायर की जाती है, वहाँ अमूमन दो-तीन साइट्स होती हैं, लेकिन आमतौर पर हमारे अधिकारियों द्वारा ऐसी जमीन को एक्वायर करने के लिए चुना जाता है, जहाँ गरीबों की जमीन होती है। जहाँ बड़े लोगों की जमीनें होती हैं, वहाँ वे जमीन एक्वायर करने की हिम्मत नहीं करते, वहाँ जाने तक की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जहाँ गरीब लोगों की जमीन होती है, उस स्थान की जमीन को एक्वायर करने के लिए चुन लिया जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई मौके ऐसे आये, जबकि वहाँ जमीन एक्वायर की जा रही थी तो जहाँ गरीब लोगों की जमीन ज्यादा थी, ऐसे इलाके को चुना जाता था और उससे थोड़ी दूरी पर जंगल था,

लेकिन उसको इस बहाने नहीं चुना जाता था कि वहाँ ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। जंगल के बदले किसानों की अच्छी जमीन को लिया जा रहा था, जो हर तरह की सुविधा से सम्पन्न है। जब इस तरह की बात मेरे सामने आई, मेरे पास किसान दौड़ें आये, क्योंकि मैं भी स्वयं किसान हूँ, इसलिए मैंने पूरी सहानुभूति के साथ सरकार के सामने उस मामले को रखा। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी बात को माना और उन गरीब लोगों की जमीन एक्वायर नहीं की गई। कई बार ऐसे उदाहरण मेरे सामने आये, जब मैंने गरीब लोगों की जमीनों को बचाया। मेरा निवेदन है कि कोई भी जमीन एक्वायर करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि वहाँ गरीब लोगों की जमीन न हो, बल्कि हमें ऐसी जमीन एक्वायर करनी चाहिए, जहाँ कम गरीब किसान रहते हों, जहाँ जंगल हों और जहाँ कोई सुविधा न मिलती हो। गरीब किसानों की जमीन को छोड़ दिया जाना चाहिए।

फिर, जिन लोगों की जमीन को लिया जाए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जितनी सुविधा हम उनको दे सकते हैं, वह भी देनी चाहिए। यदि उनको किसी दूसरे स्थान पर वैसी ही जमीन दी जा सके तो उसका प्रबन्ध करना चाहिए। यदि उन्हें कोई दूसरी जमीन नहीं दी जा सकती तो उनके लिए नौकरी की व्यवस्था हो या दूसरी कोई रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्यथा वे बेचारे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए उनका पुनर्वास हर हालत में जरूरी है और उनकी उपेक्षा न की जाए।

कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की जमीन तो ले ली जाती है, लेकिन उस जमीन पर बना मकान नहीं लिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ आप किसी की जमीन लेते हैं, तो उस पर बना मकान भी, उसके मालिक

की सहमति से, ले लेना चाहिए और उस बिल्डिंग का उसको मार्केट वैल्यू के आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए। इससे उसको किसी दूसरे स्थान पर अपना मकान बनाने में सहायता मिलेगी और दूसरे इन्तजाम करने में सहायता मिलेगी।

जब किसी की जमीन ले ली जाती है तो उसके बाद वहां निर्माण कार्य आरम्भ हो जाते हैं। कहीं इंडस्ट्रीज बनती हैं तो कहीं दूसरे निर्माण कार्य होते हैं। इसके कारण उस जमीन की मार्केट वैल्यू थोड़े ही दिनों बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जबकि उसके कुछ दिन पूर्व उसका जो मुआवजा दिया जाता है, वह कम वैल्यू के आधार पर मिलता है। मैं समझता हूँ कि यह बात भी किसी तरह से उचित नहीं है।

इसलिए मैं माननीय भंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि इस बात पर जरूर विचार करने की जरूरत है कि उसका मुआवजा उस वक्त की मार्केट वैल्यू पर मिलना चाहिए जिस वक्त जमीन का कब्जा लिया जा रहा है, बल्कि उस वक्त की मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा मिलना चाहिए। इस पर विचार करके फिर से फैसला करने की जरूरत है। इस समय इस में अगर यह न कर सकें तो जल्दी ही इस तरह का संशोधन आना चाहिए जिसमें किसान के साथ न्याय हो सके, गरीबों के साथ न्याय हो सके और केवल समाज के लिए वह तबाह और बर्बाद न हो।

श्री भीम सिंह : (झुन्झुनू) : सभापति महोदय, सरकार ने जो यह बिल रखा है इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ। पर इस बिल में कुछ खामियां हैं और जिस स्पिरिट से यह बिल रखा गया है कास्तकार को फायदा पहुंचाने के लिए, सरकार की वह भावना इससे पूरी नहीं हो पा रही है। अतः मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूँ।

मैं जानना चाहूंगा सरकार से कि आखिर जमीन किस के लिए लेना चाहते हैं? आप ने आवजेक्टिव में लिखा है कि फार पब्लिक परपज लेकिन जमीन ली किस लिए जाती है? डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े शहरों में डेवलपमेंट एथारिटीज आप ने बनाकर बैठा दी हैं। वह काश्तकारों से जमीन लेकर इकट्ठी कर लेते हैं। पन्द्रह पन्द्रह, बीस बीस माइल की बाउन्ड्री कायम कर लेते हैं। कई कई साल तक वह जमीन किसी को एलाट नहीं की जाती है। बाद में खूब ऊंची कीमत पर उसको एलाट करते हैं। सालों तक बैठे रहते हैं डेवलपमेंट के नाम पर।

दूसरे, ये जमीनें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, उनके कारखाने लगाने के लिए लेते हैं और देते किस को हैं? बड़े बड़े इंडस्ट्री-अलिस्ट्स को जो अपना मेजारिटी शेयर रख कर पब्लिक को एक्सप्लायट करते हैं। अगर आप डिफेंस के लिए लेते हैं या इर्रीगेशन चैनल के लिए लेते हैं, नहरों के लिए लेते हैं तो बात समझ में आ सकती है। काश्तकार की रोजी छीन कर और काश्तकार को बर्बाद करके बड़े बड़े डेवलपमेंट एथारिटीज के चैयरमैन के रूप में या कारपोरेशन के चैयरमैन के रूप में जो नए इंडस्ट्रीयलिस्ट्स या राजा बनाकर बैठाते हैं उनको उससे फायदा पहुंचाते हैं। काश्तकार अपनी जमीन को मां मानता है, उसको धरती माता कहता है। उस के लिए वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जो पीढ़ियों से उसकी परवरिश कर रही है। लेकिन आप उनसे उनकी रोजी हमेशा के लिए छीनते हैं, पीढ़ियों तक की उनकी संतान की रोजी छीनते हैं और उसके बदले में चन्द रुपये के टुकड़े उनको देते हैं जिस से वह अपना पूरा पेट नहीं भर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तहसीलदार से आप रिपोर्ट मांगते हैं कि इस जमीन का कितना पैसा होना चाहिए, वह दो दो सौ, ढाई ढाई सौ रुपये पकड़ा कर

छुट्टी करता है और उसके बदले में वह कारपोरेशन, वह सरकार हजारों रुपए के ऊपर उस को आक्शन करती या दूसरों को देती है आप मिडिल मैन का कार्य करने लगते हैं। कहते हैं कि मिडिल मैन आप खत्म करना चाहते हैं लेकिन सरकार और डेवलपमेंट कारपोरेशन खुद मिडिलमैन के रूप में प्राफिटियरिंग और ब्रैड मार्केटिंग जमीन का करते हैं।

आप कम्पनीज के लिए कहेंगे। अभी मेरे पूर्ववक्ता ने बताया था कि कम्पनियों का नहीं है उन्होंने यह नहीं पढ़ा कि इस के अन्दर कम्पनीज का जो नाम मेशन किया गया है इसलिए किया गया है कि डेफिनीशन में चेंज किया है उन्होंने एक उद्धृत किया था—इट इज नाट इन्क्लूड रेक्वीजीशन आफ लैंड फार कम्पनीज/ उन्होंने यह नहीं महसूस किया कि इधर आपने कम्पनीज के लिए इसके अन्दर अलग सेपरेट डेफिनीशन ही कर दी और इस के तहत इस में से हटाया गया है, कम्पनीज के नीचे डेफिनीशन के अन्दर कोआप्रेटिव सोसाइटीज के लिए जो लिखा है वहाँ तक तो ठीक है। पर बाकी कम्पनीज को देने की जो बात है, कम्पनीज को दें, लेकिन कम्पनीज को देते हैं तो ऊसर लैंड या बंजर लैंड दीजिए जिस पर कुछ पैदा नहीं होता हो। मगर आप उनको वह जमीन देते हैं जिसमें काफी पैदाइश होती है और जिससे काफी पैसा आता है। मैं एक ही मिशाल देना चाहूंगा कम्पनी के बारे में।

16.00 hrs.

आपने रत्नागिरी जिले में रत्नागिरी एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट खड़ा किया जिसके लिए आपने 2 हजार एकड़ जमीन एक्वायर की। यह वह जमीन थी जिसमें सारे आम ही आम लगते थे और वह भी अलफांजों मैंगो जो आज वर्ल्ड फेमश हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। वह सारे

दरखत कम्पनी के नाम से कटवाये जायेंगे। अलफांजों मैंगो की जमीन एक्वायर करके आपने 800, 1000 फैमिलीज को डिसलाज कर दिया, वह फैमिलीज जिसके पास कुछ गुंटे जमीन थी, उन फार्मर्स को गवर्नमेंट ने क्या दिया? एक गुंटा जमीन के 50 रुपये दिये, वहाँ पर एक एकड़ जमीन में 40 गुंटा जमीन होती है। इसके बाद क्या हुआ कि वह रत्नागिरी एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट उस जमीन को काम में नहीं लेना चाहता, वह वहाँ पर आया ही नहीं। उसका रिजल्ट अब यह है कि आप उस जमीन को महाराष्ट्र सरकार को 2 हजार रुपये गुंटा में दे रहे हैं।

मेरा कहना यह है कि जब वह प्रोजेक्ट फ़ैल हो गया है तो उस जमीन को आप उन काश्तकारों को ही वापिस क्यों नहीं देते? किस बात की जिद है कि जमीन काश्तकार को वापिस नहीं दी जाती? इस तरह की हालत जमीन की है - This should be an eye-opener to the Government and to the framers of law.

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आप काश्तकार को जब जमीन से हटाते हैं, तो उसका प्रोफेशन छीनते हैं, आप उसे जमीन के एवज में जमीन दीजिये, पैसा तो खर्च हो जाता है, अगर उसको जमीन देंगे तो वह रिहैब्लिटेड हो जाता है।

आपके इतने बड़े कैनल प्रोजेक्ट आते हैं उसमें आप दूसरे आदमियों को देते हैं, उसके बजाय जिस काश्तकार को आपने स्वयं लैंडलैस बनाया है, उसे आप जमीन क्यों नहीं देते। काश्तकार जमीन के लिए चला जायेगा, उसको इसमें एतराज की बात नहीं है। लेकिन आप उसको जमीन नहीं देना चाहते।

आप उसे मुआवजा मार्केट रेट पर क्यों नहीं देते? आपने कहीं मार्केट रेट को

एलोवरेट किया है कि मार्किट रेट क्या होगा ? किस रेट को आपका कलेक्टर मार्किट रेट कहेगा ? सरकार के अफसर का हमेशा यह रबैया रहता है कि सरकार के खजाने से ज्यादा से ज्यादा पैसा लें। वह मार्किट रेट को सही आंकता ही नहीं है। मेरा कहना यह है कि जिन शहरों में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वह अगर काश्तकार की जमीन लेती हैं तो जो रेट वह देती हैं, उतना तो आप भी काश्तकार को दीजिये। वह मार्किट रेट होगा।

अब सवाल यह है कि उसको मुआवजा कब से दें ? यह कन्ट्रोवर्सी की दलील रही है। सब मॅम्बर्स ने इसको आग्र्यु किया है। आप नोटिफिकेशन की तारीख से देना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि जिस दिन से जमीन लें उस रोज से दें। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि इसमें कितना भ्रष्टाचार और घपला हुआ है। वह मैं आपको दिल्ली की मिसाल देता हूँ जहाँ कि अपन लोग बँठे हैं। खुद दिये तले अन्धेरा हो रहा है।

दिल्ली में आपन जमीन एक्वायर की है 13-11-59 में नोटिफिकेशन हुआ है और आज 23 साल पूरे हो गये लेकिन अभी तक उसका एवार्ड नहीं हुआ। नोटिफिकेशन के 23 साल बाद तक आप एवार्ड करके मुआवजा नहीं दे सके।

16 04 hrs.

(MR. SPEAKER in the Chair)

आपके कानून में जो कि 1894 का प्रिंसिपल एक्ट है, उसमें जब से डिक्लेरेशन आफ नोटिफिकेशन हो जाता है, उसमें आप खड्डे खोदने शुरू कर देते हैं, डिमाकेशन कर देते हैं। उससे काश्तकार के काम की जमीन नहीं रह जाती है। काश्तकार को आप उसके धन्धे से हटा देते हैं।

आपने इस सारी खराबी को मिटाने के लिए एक्ट में प्रावीजन किया है कि 2 साल में एवार्ड हो जायेगा। यह आपने बहुत सुन्दर किया है परन्तु इसमें एक प्रोवीजो एड करके पहले के काश्तकारों को डेमेज कर दिया।

यह भेदभाव क्यों ? कई लोगों कि जमीनों के बारे में 13-5-59 को नोटिफिकेशन हो गए थे। क्लाज 9 के द्वारा प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 11 में यह संशोधन किया गया है :-

“The Collector shall make an award under section 11 within a period of two years from the the date of the publication of the declaration and if no award is made within that period, the entire proceedings for the acquisition of the land shall lapse;

Provided that a case where the said declaration has been published before the commencement of the Land Acquisition (Amendment) Act, 1984, the award shall be made within a period of two years from such commencement.”

जो नोटिफिकेशन 23 साल पहले निकाले गए थे, उनके एवार्ड के लिए दो साल और दिये जा रहे हैं। जिन आफिसर्ज ने पैसा लेने के लिए यह घोटाला किया, उनके लेप्सिज को ढकने के लिए और उनको बचाने के लिए यह प्रोवाइजो रखा गया है। डीले के सवाल को लेकर कई मामले कोर्ट में हैं और वहाँ से गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला होने वाला है। इसलिए उन आफिसर्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने गुनाहों के ढकने के लिए यह प्रोवाइजो एड किया गया है। हो सकता है कि उन जमीनों में कई गवर्नमेंट के काम की हों और बाकी उसके काम की न हों। पहले एक्ट में जारी किए गए नोटिफिकेशनज को खत्म होने दिया जाए और जो जमीन सरकार लेना चाहती है, उसके लिए फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जिन लोगों की जमीनों के

बारे में नोटिफिकेशन बहुत पहले जारी हो चुके इस प्रोवाइजो द्वारा इस कानून को रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर सरकार उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती है उन लोगों के साथ उसकी क्या दुश्मनी है ? सरकार के लिए सब लोग बराबर होने चाहिये । इसलिए इस प्रोवाइजो को डिलीट करना चाहिए ।

दूसरा सवाल यह है कि मार्केट रेट नोटिफिकेशन के समय का लिया जाए या एवार्ड के समय का । यह गड़बड़ सन् 1923 में इस कानून में इनसर्ट की गई थी । प्रिंसिपल एक्ट के सैक्शन 11 में दिया हुआ है :-

“and into the value of the land (at the date of the publication of the notification under section 4, sub-section (1))”

इसमें से ब्रैक्टर्स के अन्दर का पोर्शन 1923 के एक्ट 38 के द्वारा इनसर्ट किया गया है । 1923 में भी ब्रिटिश राज था । उस वक्त भी कम से कम रुपया देने की भावना थी । आरिजिनल एक्ट में यह नहीं था । मेरा निवेदन यह है कि जब यह आरिजिनल एक्ट में नहीं था, तो यह प्रोवाइड कर दिया जाए कि एवार्ड के बाद जो मार्केट रेट हो, वह दिया जाए, ऐसा करने से कलैक्टर को इस बात की चिंता रहेगी कि एवार्ड जल्दी दिया जाए । दो साल में कोई फर्क नहीं पड़ता । नोटिफिकेशन के बजाए एवार्ड के समय का मार्केट रेट दिया जाए । श्री दिगम्बर सिंह ने पढ़कर सुनाया है कि खुद प्रधान मंत्री ने इस बारे में काश्तकारों को एशोरेंस दिया है । उस एशोरेंस को पूरा करना चाहिए ।

जहां तक ब्याज का सम्बन्ध है, अगर एक काश्तकार बैंक या कोआपरेटिव सोसायटी से लोन लेता है, तो उसे 14 से 18 परसेंट ब्याज देना होता है । अगर उसको ज्यादा जरूरत होती है, तो उसे शहर के साहूकार को 24 परसेंट

ब्याज देना पड़ता है । सरकार तो साहूकार से ज्यादा साहूकार है, मगर वह सिर्फ 10 परसेंट ब्याज देना चाहती है । उसे साहूकारों वाला ब्याज देना चाहिए और कम से कम 18 परसेंट तो जरूर देना चाहिए । वह काश्तकारों को 10 परसेंट ब्याज देकर उन्हें चूसना चाहती है । एक तरफ वह उनकी जमीन छीनती है और दूसरी तरफ वह उन्हें ब्याज भी नहीं देना चाहती । यह वाजिव नहीं है ।

इसके अलावा एक बहुत बड़ी कमी इस कानून में रह गई है और वह यह कि डेवलपमेंट के बारे में कोई मुआवजा आप किसान को नहीं देना चाहते हैं । आप जमीन एक्वायर करते हो तो उसका आप मुआवजा देना चाहते हैं, लेकिन उस जमीन पर उसका ट्यूबवैल होता है, इरिगेशन चैनल्स हैं, मकान हैं, कैंटिल शैंड हैं वह सब मुफ्त में लेना चाहते हैं । वह कहीं जमीन खरीदेगा तो उस पर मकान, कुआं आदि उसको बनाना होगा । काम एक दिन में तो तैयार नहीं होता, पीढ़ियों बाद वह जमीन डेवलप होती है । ऐसी स्थिति में सारे डेवलपमेंट का भी किसान को आप पैसा दीजिये । जो जमीन ले रहे हैं मुआवजा देंगे अगर आपने 50 बीघा जमीन का मुआवजा दिया तो उतने में वह 2 बीघा जमीन भी नहीं खरीद सकता है । इसलिए कम से कम मुआवजा तो दीजिये । जिससे वह किसान अपने को रीहैबिलिटेड कर सके और इज्जत के साथ अपनी जिन्दगी बसर कर सके । भिखारी बन कर न रहे । ऐसा संशोधन आप कीजिये । आप जो बिल लायें हैं उसके लिये धन्यवाद, लेकिन जो बातें मैंने कहीं है उन पर आप अवश्य विचार करें और किसान का हित ध्यान में रखते हुए काम करें ।

श्री दिगम्बर सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है । प्रधान मंत्री अभी सदन में आई हैं । जमीन जब एक्वायर की जाती

है, कब्जा जब सरकार का होता है तब का मुआवजा किसान को मिलना चाहिये। इस संशोधन का सभी ने समर्थन किया है। तो मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरी इस बात पर ध्यान दें। मैंने यह कहा है कि वह जमीन जब ली जाती है, जब उस पर कब्जा किया जाता है उस समय का मुआवजा किसान को मिलना चाहिये। इस का सभी संसद सदस्यों ने समर्थन किया है, और आपने भी किसान रैली में घोषणा की थी। तो जब सारे सदस्य, नेता और पार्टियां चाहती हैं कि जब जमीन पर कब्जा हो तब के बाजार भाव का मुआवजा दिया जाय इतना छोटा सा मेरा संशोधन है जिसको सब मान रहे हैं।

16.10 hrs.

DISCUSSION ON STATEMENT RE : SITUATION IN SRI LANKA

MR. SPEAKER : Now, before we, proceed, we have to take up the discussion on Sri Lanka. After finishing discussion on Sri Lanka, we shall again take up this Bill and pass it.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : What is the latest information about the hijacked plane ? We are very much worried. I want to know the latest information. What is the position ?

MR. SPEAKER : Now Prof. Madhu Dandavate will speak.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Mr. Speaker, I rise to raise the discussion under Rule 193 on the statement that was made on the situation in Sri Lanka by the hon. Minister of State on 16th August.

There are occasions in the file of a nation when the agony and anger of people

can be expressed in one voice in the sovereign Parliament of the country and I will not be exaggerating the situation if I say that this is one such occasion on which we all should be able to speak in one voice so that the nation's voice can be asserted and the will of those who are concerned with taking fire and adequate steps will be strengthened and this problem will be resolved.

As far as Ceylonese situation is concerned, especially since our Prime Minister happens to be the Chair person in the Group of Non-aligned countries, very often when we discuss on the floor of the Parliament the situation in Sri Lanka, we get unwanted and uninvited advice, particularly from the West, that if we go on debating and discussing the problem in our sovereign parliament, it will mean a slur on our spirit of non-alignment.

At the very outset, let me make it very clear that non-alignment does not mean, when there is a struggle between justice and aggression, remaining non-aligned between the two; that is not our concept of non-alignment. Time and again, the leaders of this nation, right from the days of Pandit Jawaharlal Nehru, have made it explicitly clear that our concept of non-alignment would mean that, while we will not get entangled in the internal conflicts of the power blocs, we shall judge every international issue on its own merits and we shall reserve to ourselves the right to speak with a firm voice on any international issue where we would like to take up a particular perspective and a particular approach, and that being our approach and attitude, there is nothing wrong if we decide to take a firm attitude about the happenings in Sri Lanka.

No doubt, there is something like the concept of sovereignty of nations. But permit me to say, Sir, that there is something like the sovereignty of human values, and the sovereignty of human values is more sovereign than the sovereignty of nations. Therefore, whenever there has been an attack on the human rights in any part of the world, we have shown the sensitivity of the mind to respond to the suppression of human rights. In this very House, I may recall, in March 1960, when in the distant